राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ६० वां दिवस [संख्या ३४

गुरुवार, १० अप्रेल, १९५८

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ५ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १२४७ : श्री **मुरलीधर व्यास** (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित

जिला बोर्ड, जयपुर द्वारा ग्राम सांमरियां में सार्वजनिक हितोपयोगी कार्यों के लिये दी गई रकम

१२४८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम सांमरिया, तहसील बसी के किस किस नागरिक को जिला बोर्ड, जयपुर से किस किस सार्वजनिक काम के लिए कितनी कितनी रकम दी गई।

(२) उक्त रकम लेने के बाद कौन कौन सा काम पूरा कर दिया गया और कौन कौन सा काम बाकी है ?

(२) उक्त रकम कब दी गई थी ?

श्री पुनमचन्द विश्नोई (उप-स्वायत्त शासन मंत्री):(१) ग्राम सांमरिया तहसील बसी में निम्न नागरिकों को उनके सामने अंकित कार्यों के लिए धन दिया गया।

१. श्री गोरधनलाल कामदार, संयोजक, निर्माण कमेटी को औषधालय भवन पूरा करने हेतु १३२१) रुपया।

२. श्री गोरधनलाल कामदार, संयोजक, निर्माण कमेटी, को स्कूल भवन पूरा करने हेतु ५०० रुपया।

३. श्री जगदीशनारायण जी, मंत्री, कांग्रेस कमेटी को कच्चे कुए को पक्के बनाने के लिए ५००) रुपया।

(२) केवल औषधालय का काम चालू किया गया, जिसमें, कुछ किवाड़ लगाने बाकी हैं शेष कार्य अभी चालू ही नहीं हुए हैं।

(३) दिनांक ५-२-५७ को,
दिनांक ५-२-५७ को,
दिनांक १८-३-५७ को।

श्री बेनाराम गहलोत : बाकी काम कब तक चालू हो जायेगा ?

श्री पुनमचन्द विश्नोई । जल्दी हो जायेगा, उसके लिए लिख दिया गया है।

Page No.2

श्रीअध्यक्ष : प्रश्न संख्या १२४९ श्री मोगजी अनुपस्थित कृपया आगे देखिये।

प्रश्न संख्या १२५०: श्री मोहरसिंह (अनुपस्थित) कृपया आगे देखिये

श्री गिरधारीलाल

चारा उत्पादन सवाईमाधोपुर

१२५१. श्री गिरधारी लाल (नोखा): क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर की पथरीली भूमि में फसल नहीं हो पाती तथा वहां के काश्तकार अपना गुजारा घास भूसा पैदा करके करते हैं?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने वहां के किसानों से मुचलके लिए हैं कि भविष्य में वहां चारा पैदा न करें? अगर हां, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्घा) : (क) सवाई माधोपुर की पथरीली भूमि में खरीफ की फसल होती है और सिंचाई के साधन होने पर रबी की फसल भी की जा सकती है।

(ख) वहां के काश्तकार अपना गुजारा खेती के अलावा घास-भूस बेचकर भी करते हैं। किसानों से मुचलके नहीं लिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री उम्मेदी लाल।

संख्या १२५२

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १२५३, श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १२५४ श्री पुरूषोत्तम लाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

प्रश्न संख्या १२५५

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

लेखक-ग्राम पंचायत

१२५६. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों के लेखकों के नियुक्ति व ग्रेड संबंधी कोई नियम बनाये हैं।

(२) यदि नहीं, तो भविष्य में कब तक बनायेगी?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता:) (१) नियुक्ति संबंधित नियम राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ की धारा २३ के अन्तर्गत, सामान्य नियम की धारा ५ के नियमों में दिए हुए हैं परन्तु ग्रेड के लिए कोई नियम नहीं हैं। क्योंकि पंचायतों की आर्थिक स्थिति इस स्तर पर नहीं है कि हर पंचायत ग्रेड के अनुसार लेखकों को वेतन दे सके। इसलिए यह पंचायतों पर ही छोड दिए गए हैं कि वे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार वेतन निर्धारित कर लें।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकरणसिंह : क्या इन लेखकों को पंचायतें रखती हैं और उनको पंचायत बिना नोटिस के हटा सकती है? ऐसा नियम में प्रावधान है क्या?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझ नहीं पाया, क्या पूछ रहे हैं आप ?

श्री रामकरणसिंह : जिन लेखकों को पंचायत रख लेती है, उनको मर्जी से रख सकती है और मर्जी से निकाल सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रखने के लिए चीफ पंचायत आफिसर से एप्रूवल लेनी पड़ती है।

श्री रामकरणसिंह : और हटाने के लिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो रखने के लिए नियम हैं वही हटाने के लिए भी। फिर सका प्रावधान जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी है।

श्री पी. के. चौधरी : यह जो पंचायतों में क्लर्कस् हैं यह गवर्नमेन्ट एम्प्लाइज हैं या पंचायत के ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट के नहीं है, पंचायत के हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

जयपुर टोंक रोड

१२५७. **श्री प्रभूलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर-टोंक रोड पर ४ मील से भोपालपुरा तक सड़क निर्माण का काम कब शुरू होगा ?

(२) उक्त सड़क की धनराशि बजट में किस वर्ष से स्वीकार होती आ रही है ?

(३) क्या उक्त सड़क के टेन्डर दिये जा चुके हैं ?

(४) काम अब तक शुरू न करने का क्या कारण ह ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सड़क की मिट्टी का कार्य विभाग के द्वारा शुरू कर दिया गया है।

(२) १९५५-५६ से।

(३) जी नहीं।

(४) ठेकेदारों से टेन्डर नहीं आ रहे हैं।

श्री वेनाराम गहलोत : काम कब से शुरू कर दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी इसी साल किया है। गये साल शुरू किया है।

डॉ० चन्द्रकला : यह राशि स्वीकृत हो जाने के बाद भी क्यों रुका पड़ा रहा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले कुछ कॉम्प्लीकेशन्स होगए थे। पहले जो था वह सारा एस्टीमेट करके दुबारा गवर्नमेन्ट की सेंक्शन हुई वह देरी से हुई और उसके बाद में पीछे दो तीन दफा टेन्डर्स मांगे और फिर भी नहीं आये और डिपार्टमेन्टली काम शुरू हुआ।

डॉ० चन्द्रकला : जो कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो गये थे, वे क्या दूर हो गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे दूर हो गये तभी काम चला।

श्री पी. के. चौधरी : वे कॉम्प्लीकेशन्स क्या थे ?

श्री अध्यक्ष : यह पता किया जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले कुछ खेत बीच में आगये थे दूसरी लाइन शुरू हुई।

बिजली की दरें

१२५८. **श्री जयसिंह राणावत** (असींद) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री जयसिंह राणावत)

(क) जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर व जोधपुर में नागरिकों को दिये जाने वाले कनेक्शन्स की दरें क्या हैं और कितनी दूरी तक लाइन फ्री दी जाती है ?

(ख) भीलवाड़ा शहर में उक्त दरें क्या हैं और कितनी दूरी तक लाइन फ्री दी जाती है ?

(ग) क्या उपरोक्त स्थानों की दरों में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) बिजली की दरें निम्न लिखित हैं :

जयपुर–स्थाई ६ आ. अस्थायी ८ आ. और पॉवर ३ आ.।

जोधपुर–स्थायी ६ आ., अस्थायी १२ आ. और पॉवर ३.५ आना।

कोटा–स्थायी ६ आ. ६ पा., अस्थायी ८ आ. ६ पा. और पॉवर ४ आ.।

बीकानेर–स्थायी ६ आ., अस्थायी ८ आ. और पॉवर ३ आ.।

उदयपुर–१४ यूनिट्स से ऊपर ८ आ. और १५ यूनिट्स से कम ६ आ.। १०० फुट तक की लाइन फ्री दी जाती है।

(ख) भीलवाड़ा में लाइटिंग दर ८ आ. तथा पॉवर ३ आ. है। और अधिक से अधिक १०० फुट तक की लाइन फ्री दी जाती है।

(ग) भिन्न भिन्न स्थानों पर बिजली देने की दर वहां की उत्पादन लागत के अनुसार है।

श्री जयसिंह राणावत : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो भीलवाड़ा में फ्री लाइन देने का बताया गया है, वह बिल्कुल सही नहीं है ? वहां एक फुट भी फ्री नहीं दिया जाता है जब कि मेन लाइन से व्यक्तिगत लाइन तक कनेक्शन लाने में।

श्री रामकिशोर व्यास : १०० फुट तक फ्री देने का कायदा है। अगर उसके खिलाफ बात हो तो उसका इन्तजाम किया जा सकता है।

श्री जयसिंह राणावत : अगर आपको सूचना दें तो क्या आप उसकी जांच करायेंगे ?

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह जो फ्री देने का कायदा है, वह सब जगह है ? बीकानेर में भी है।

श्री रामकिशोर व्यास : हां यह सब जगह है।

रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन्स

१२५९. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५७ तक कुल कितने ट्रेड यूनियन्स रजिस्टर किये गये हैं ?

(२) बीकानेर जिले की रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के नाम क्या क्या हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : राजस्थान में दिसम्बर ५७ तक १८६ रजिस्टर्ड यूनियनें थीं।

(२) बीकानेर जिले की रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनें केवल ६ हैं जो इस प्रकार हैं :—

(१) बीकानेर प्रेस एम्प्लाइज यूनियन, बीकानेर।
(२) पलाना कोलियरी मजदूर यूनियन, पलाना।
(३) राजस्थान व्यवसायिक कर्मचारी संघ, बीकानेर।
(४) बागवान यूनियन, बीकानेर।
(५) गार्डन लेबर यूनियन, बीकानेर।
(६) मूंदडा वर्क्स मेटल यूनियन, बीकानेर ....

Page No.5

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जामसर जिप्सम माइन्स वर्कर्स यूनियन इसके अन्तर्गत नहीं है ? क्या वह बीकानेर जिले में नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें तो नाम नहीं है। आपने बीकानेर का पूछा था और जामसर बीकानेर में नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : जामसर बीकानेर जिले में है। यह आपको मालूम होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर जिले का पूछा था और जामसर बीकानेर जिले में है या नहीं ?

श्री भीमसेन : आपने बीकानेर शहर के बारे में पूछा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने सारे जिले का नहीं पूछा था, आपने तो बीकानेर शहर का पूछा था। कौन सा पूछ रहे हैं ?

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बीकानेर जिले का पूछा रहा हूं और बीकानेर जिले में जामसर है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं सारी लिस्ट पढ देता हूं। उसमें १९ बीकानेर जिले में··

श्री मुरलीधर व्यास : वह पढ दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (१) बीकानेर प्रेस एम्प्लाइज यूनियन, बीकानेर।

(२) पलाना कोलियरी मजदूर यूनियन, पलाना।

(३) पावर हाउस लेबर यूनियन, श्री गंगानगर।

(४) श्री सादूल टैक्सटाइल लेबर यूनियन, श्री गंगानगर।

यह तो गंगानगर के हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो बीकानेर जिले की पूछ रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं सारे बीकानेर डिविजन की बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह तो ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोटा ट्रान्सपोर्ट राष्ट्रीय शक्कर मंडी, श्रीगंगानगर। बीकानेर राजस्थान व्यवसायिक कर्मचारी संघ, बीकानेर, बागवान यूनियन, बीकानेर, गार्डन लेबर यूनियन, बीकानेर, मूंदडा मेटल वर्क्स यूनियन, बीकानेर। बीकानेर म्युनिसिपल कर्मचारी संघ, बीकानेर बस इतने ही हैं, १९।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका मतलब यह मान लिया जाय कि जामसर इसमें नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हर साल जो यूनियन फीस देती हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाता है और जो यूनियन फीस नहीं देती है उनका नाम हटा दिया जाता है। इस वजह से भी नाम नहीं हो सकता है।

(सम्पूर्ण सूची के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

भूतपूर्व राज्यों के भवन

१२६०. डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भूतपूर्व राज्यों के कितने कितने मूल्यों के कौन कौन से भवन हैं ? जिलावार सूची सदन में प्रस्तुत करें।

(२) उक्त भवनों में ऐसे कितने हैं, जो बिल्कुल नष्ट हो गये हैं या नष्ट हो रहे हैं तथा उनकी सुरक्षा या विक्रय के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

Page No.6

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): माननीय अध्यक्ष, इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इसको अगले सप्ताह ले लिया जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह राजस्थान में काफी बड़ी सूची है। इसको आगे दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाय। वे चूंकि राजस्थान की बिल्डिंग की सूची पूछ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आंकड़े ही नहीं होंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आंकड़े सब कुछ हैं, लेकिन दूर हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या १२६१ (श्री शिवचरण दास, अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२६२ श्री पुरूषोतम लाल शर्मा।

श्री तेजाराम

पशु चिकित्सालय

१२६३. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में २२८ पशु चिकित्सालय हैं ?

(२) क्या पशु चिकित्सालय की संख्या देखते हुए औषधियों का बजट पूरा है ?

(३) अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या सरकार पशु चिकित्सालयों को औषधि पूरी न देने पर भी चिकित्सालयों को बन्द करना नहीं चाहती ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) राजस्थान में कुल २२१ पशु चिकित्सालय पशु चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत हैं तथा ६ पशु चिकित्सालय जिला बोर्ड गंगानगर के आधीन हैं।

(२) जी नहीं।

(३) विभाग द्वारा मांग की जाती है। परन्तु धनाभाव के कारण अधिक रकम बजट में नहीं रक्खी जा सकी है। अगले साल (१९५८-५९) से औषधियों के बजट में वृद्धि की गई है और रु० १,५१,०००) से बढा कर १,७८,०००) रु० कर दिया है।

(४) जी नहीं। इन चिकित्सालयों द्वारा पशु उन्नति, पालन तथा चिकित्सा के विषयों पर निःशुल्क राय भी दी जाती है।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह पशु चिकित्सालय बीमार पशुओं को दवा देने के लिये होते हैं या नस्ल सुधारने के लिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चिकित्सालयों में बीमार पशुओं को दवाई भी दी जाती है और उनको एडवाइज भी दी जाती हैं। डाक्टर लोग दौरा करते हैं बाहर। कई तरह की हमारी स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का प्रचार का काम भी वे करते हैं। लोगों को समझाते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरे प्रश्न नं. ४ के उत्तर में यह बताया गया है कि जरूरत के मुताबिक वह सलाह भी देते हैं और दवाइयां भी देते हैं। उनका खास उद्देश्य बीमार पशुओं को सुधारने का है तो फिर दवाइयों कम क्यों दी जाती हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दवाइयां पिछले साल में कम रही हैं और उसको बढा कर पूरा कर दिया गया है ताकि सब को दवाइयां देंगे।

श्री बहादुरसिंह : दवा किन आधारों पर दी जाती हैं ? जहां बीमारी बढ जाती है वहां बढा देते हैं और जहां बीमारी कम होती है वहां घटा देते हैं।

Page No.7

श्री नाथूराम मिर्धा : कमी होती है तो दूसरी जगह से ट्रान्सफर कर देते हैं तथा और भी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द जैन।

पुलिस अधिकारियों द्वारा तस्कर (स्वर्ण) व्यापार में दिये गये सहयोग सम्बन्धी मामले

१२६४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जोधपुर डिविजन में किन किन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तस्कर (स्वर्ण) व्यापार में सहयोग देने के आरोप में मुकद्दमात चल रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : तस्कर (स्वर्ण) व्यापार करने वालों को सहयोग देने के अपराध प्रकरण में किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध मामले विचाराधीन नहीं हैं, हालांकि तस्कर व्यापार (स्वर्ण) की प्रक्रिया में ३ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला विचाराधीन है।

श्री तनसिंह : विचाराधीन के लिए नहीं पूछ रहे हैं किन्तु यह पूछ रहे हैं कि कितने मुकद्दमात चल रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : तीन का मैंने बताया है। एक का मामला कोर्ट में चल रहा है, एक का एन्टीकरप्शन में पेंडिंग है और एक की जांच हो रही है।

श्री तनसिंह : कौन २ से हैं और किस २ के खिलाफ हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्डिविजुअल मैं नहीं बता सकता हूं। एक कोर्ट में है।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कहा है कि तीन पर मुकद्दमें चल रहे हैं और अभी कह रहे हैं कि तीन मुकद्दमों के सिलसिले में कुछ नहीं बता सकता हूं कि किन २ के खिलाफ हैं तो हम क्या सप्लीमेन्ट्री पूछ सकते हैं और क्या वे जवाब देने के लिए तैयार होकर आते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : किस २ का नाम है मैं नहीं बता सकता। आप पहले पूछते तो बता सकता था।

श्री तनसिंह : आप जानते हैं कि किस किस के खिलाफ मुकद्दमें चल रहे हैं, और किस किस के खिलाफ क्या क्या सुबूत हैं यह भी आप जानते हैं, लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप जो पूछना चाहते हैं, वह नहीं जानते हैं।

श्री तनसिंह : मैं पूछ रहा हूं वही नहीं जानते हैं बल्कि आप उससे भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन उनका ढंग कुछ गलत मालूम होता है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जो प्रश्न पूछा है, वह जानता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय : किन किन अधिकारियों के विरुद्ध वह मुकद्दमें चल रहे हैं वही तो पूछ रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : बताने में हर्ज होने का सवाल नहीं है। कोर्ट में केसेज पेन्डिंग हैं। किन किन आदमियों के खिलाफ़ मुक़द्दमें चल रहे हैं, यह सूचना मेरे पास में नहीं है। अगर आप नोटिस दें तो बताया जा सकता है।

श्री तनसिंह : प्रश्न में साफ़ साफ़ दिया हुआ है कि किन किन के खिलाफ़ मुक़द्दमें चल रहे हैं तो फिर उसकी इन्फ़ोर्मेशन क्यों नहीं है। तो फिर सप्लीमेन्टरी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस तरह से रोजाना उत्तर देने में इवेड करते हैं। सब जानते हुए फिर भी उत्तर नहीं देते हैं।

Page No.8

श्री भैरोंसिंह : यह क्वेश्चन केवल एक इनफ़ार्मेसन का होते हुए भी नहीं दे रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे टाइम दें तो बताऊंगा। एक केस कोर्ट में चल रहा है और एक एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट में। आप नेमवाइज़ पूछ रहे हैं।

श्री तनसिंह : डेजिगनेशन भी है। वह पूछ रहा हूं।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह सचिव से सूचना प्राप्त होने पर): कुछ नाम अभी आयें हैं मेरे पास। एक तो श्री जीवसिंह, एक हैं श्री मोहब्बत सिंह और एक हैं श्री जाजरमल जाजरमल।

श्री तनसिंह : डेजिगनेशन भी हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक कॉन्स्टेबल है, एक एस. आई. हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : जाजरमल एस. आई. है और जीवसिंह और मोहब्बतसिंह कॉन्स्टेबिल हैं।

श्री पी० के० चौधरी : This procedure is objectionable. The departmental Secretary never gives complete information to the Minister concerned for supplementaries even though it is with them. I object to this procedure.

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें ऐतराज की बात नहीं है, उन्होंने जितनी बातें पूछीं उतनी इन्फ़ोर्मेशन मौजूद है।

श्री पी० के० चौधरी : When a question is asked, it is expected that the departmental Secretary should give all the information to the Minister concerned for the supplementaries and he should not supply information in this manner.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १२६५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अनुपस्थित)।

प्रश्न संख्या १२६६ : श्री दलपतसिंह (अनुपस्थित)।

प्रश्न संख्या १२६७: श्री बाल मुकन्द। (अनुपस्थित)।

नगरपालिका कोटा व बारां

१२६८. श्री **पन्नालाल हरित** (छाबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बारां एवं कोटा म्युनिसिपैलिटियों ने अपने अपने बोर्डों द्वारा कितनी कितनी रक़म पास कर, बारां नगर के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ दिये जाने के लिये सरकार के पास स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ?

(ख) किन किन तारीखों को वह पत्र पृथक २ सरकार को प्राप्त हुए एवं उक्त रक़म की मन्जूरी किस तारीख को हुई ?

उप-स्वायत शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) कोटा नगरपालिका से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। केवल बारां नगर पालिका ने बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ रिलीफ़ सोसाइटी को ५००० रु० देनेहेतु प्रस्ताव भेजा है।

(ख) केवल बारां नगरपालिका का पत्र २१-१२-५७ को निर्देशक स्थानीय निकाय के द्वारा सकार को प्राप्त हुआ था, जिसकी स्वीकृति दिनांक ७-४-५८ को भेज दी गई है।

श्री दयालकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कोटा नगरपालिका ने ३००० रु० बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ देना तय किया था ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह इस प्रश्न के दायरे में नहीं आता इसलिये जवाब नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : इसकी स्वीकृति देनें में चार माह का समय किस प्रकार लग गया ?

Page No.9

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बारां म्युनिसिपैलिटी का जो पत्र आया था वह मिसप्लेस हो गया इसलिये उनको दुबारा लिखा गया।

श्री पी. के. चौधरी : पत्र मिसप्लेस किस के पास हो गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सेक्रेटेरियेट में।

श्री भैरोंसिह : किस विभाग में ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट।

श्री भैरोंसिह : क्या सरकार ने उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जो इसे मिसप्लेस करने के लिये ज़िम्मेदार था ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : काम अधिक है इसलिये कहीं इधर उधर रख दिया गया। अगर यह मालूम हो जाता कि किसके पास मिसप्लेस हुआ है तब तो मिल ही जाता। किसी ने जान बूझकर तो मिसप्लेस की नहीं।

श्री भैरोंसिह : क्या इसकी जांच की गई है कि किसके पास से मिसप्लेस हो गई ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि स्वीकृत रक़म अभी तक बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिली है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्वीकृति ७-४-५८ को भेज दी गई है।

श्री पी. के. चौधरी : अभी आपने फरमाया कि सेक्रेटेरियट में काम अधिक है और बजट को देखने से मालूम होता है कि स्टाफ़ अधिक है इसलिये २० लाख रुपये की बचत दिखाई है इन दोनों बातों को आप कैसे रिकोन्साइल करेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सेक्रेटेरियट में अलग अलग विभाग हैं, किसी के पास काम कम है तो किसी के पास अधिक है।

श्री भैरोंसिह : आपने यह जवाब किस आधार पर दिया कि जान बूझकर उस पत्र को मिसप्लेस नहीं किया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी सीरियस बात तो यह है नहीं, बाढ़ पीड़ितों के साथ किसी को दुश्मनी तो होगी नहीं जिसके कारण जान बूझ कर छिपा लिया हो।

श्री भैरोंसिह : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने किस आधार पर कहा कि मिसप्लेस जान बूझकर नहीं किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The presumption is always in favour of innocence. So, till it is doubted or suspected that somebody has done it intentionaly till then we cannot say so.

श्री श्रीभानसिंह : Does it not prove the negligence of the officer?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is not a very big negligence looking to the load of work and nature of work.

श्री श्रीभानसिंह : Then should this House take that all these misplacings of papers in the Secretariat will be execused by the Ministers concerned ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No, not that.

श्री श्रीभानसिंह : Then what steps does the Government intend to take against the officers to prevent such misplacings of papers?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: It is always possible that some papers might be misplaced. We cannot expect mechanical accuracy from these persons.

श्री जनार्दनराय नागर : कितना अर्सा लगा, बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का हुक्म देने में और बाढ़ आने के कितने दिन बाद उनको सहायता मिली ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हमारे पास आने के बाद ३।। महीने लगे।

श्री तेजमल बाफना : क्या आपने जानकारी की कि किस के पास काम ज्यादा है और किस के पास काम कम है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : हमारे पास जो कागज आते हैं उनसे जानकारी मिलती रहती है। वर्किंग का एक ऑर्गनाईजेशन होता है जिसके जरिये जानकारी मिलती रहती है कि कहां काम ज्यादा है और कहां कम है।

श्री जनार्दन राय नागर : ३।। महीने की देरी बताई जा रही है जब कि बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का सवाल था Is it not inhuman to delay a matter for three months, particularly when there is the question of people's sufferings, when so many people were suffering?

श्री अध्यक्ष : At least there is nothing unusual.

श्री पी. के. चौधरी : Sir, I have one supplementary question.

श्री अध्यक्ष : No please, nothing.

मनोहरथाना चाचोडा रोड, झालावाड़

१२६९. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) मनोहरथाना (जिला झालावाड़) से चाचोड़ी जानेवाली रोड को पक्की करवाने की मंजूरी कब हुई थी और इस रोड पर कितनी धन राशि खर्च करने की मंजूरी थी ?

(२) उपरोक्त रोड पर अब तक क्या काम हुआ और कितना खर्चा हुआ है ?

(३) इस रोड का काम किस ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६ लाख रुपयों की।

(२) २२ मील लंबी बन चुकी है। ४,४७,९५७) रु. ;

(३) कुछ कार्यों के टेन्डरों की स्वीकृति विचाराधीन है।

श्री रामचंद्र : यह २२ मील सड़क कहां से कहां तक बनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ३० से ४०, ४२, ४६, ४७, ५२।

श्री रामचन्द्र : मेरा मतलब यह नहीं कि मील बतलावें, मेरा पूछने का मतलब यह है, मनोहर थाना से चांचोडा जानेवाली सड़क का कितना भाग बन चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यही बताया है कि इतना भाग बन चुका है।

श्री रामचन्द्र : मेरी अर्ज यह है कि इकलेरा से मनोहरथाना और मनोहरथाना से चांचोडा का रास्ता है और आपने बताया कि यह सडक २२ मील बनी है, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनोहरथाना से चांचोडा जानेवाली सड़क का भाग भी बना है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : The construction of 26 miles of metalled road was sanctioned on this route in the First Five Year Plan. Out of these 26 miles from Iklera to Manoharthana, 22 miles ....

श्री दयाकृष्ण विजय : प्रश्न हिन्दी में पूछा है तो जवाब अंग्रेजी में क्यों दिया जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (जारी) : Have been constructed. The remaining portion of road fro.n Manoharthana to Chanchora on Rajasthan boundary is provided in the Second Five Year Plan which will be completed by 1959 according to the phased programme. The work has been done by contractors.

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, इसलिये पता नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया। मैंने मनोहरथाना से चांचोडा रोड के बारे में पूछा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : २२ मील सड़क बन बन चुकी है। बाकी बची हुई सड़क का काम सैकिंड फाईव ईयर प्लान में बनाया जा रहा है। कुछ टेन्डर्स इन्वाइट किये हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह तो रोड ही दूसरी है चांचोडा की ओर आपने जो बताई वह दूसरी रोड है। इस रोड पर तो काम हुआ ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : है तो झालावाड में ही ?

डा० चन्द्रकला : इस प्रश्न के भाग (३) का उत्तर नहीं आया।

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेकेदार का नाम हंसराज है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यहां तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, माननीय सदस्या कह रही हैं प्रश्न (३) के उत्तर के बारे में, जिस सडक के लिये ठेका मंजूर हुआ, रकम मंजूर हुई वह तो सड़क ही शुरू नहीं हुई। आप जवाब दे रहे हैं दूसरी सड़क के बारे में।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कागज में बन गई।

श्री श्रीभानसिंह : क्या मंत्री जी के उत्तर से यह समझा जाय कि मनोहरथाने से चांचोडा की सड़क बन जायगी, कर जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया कि मनोहरथाना से इकलेरा जो सड़क लीड करती है वह चांचोडा होकर लीड करती है। कुल ३३ माईल का फासला पड़ता है उसमें से २२ मील बन गई है और बाकी सेकिन्ड फाईव ईयर प्लान में बनेगी। उनके समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : बाकी १० माइल रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ३३ में से २२ मील निकाल दीजिये बाकी ११ माईल रहती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : चांचोडा इस पर नहीं है, आगे पड़ेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसी रोड से मिलेगा।

डाईरेक्टर, लोकल बोडीज द्वारा नगरपालिकाओं का निरीक्षण

१२७०. **श्री माणकचन्द कोठारी** (जायल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) १९५७ के पूरे वर्ष में डाईरेक्टर, लोकल बोडीज द्वारा कितनी नगरपालिकाओं का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण रिपोर्ट्स लिखी गई ?

(२) समूचे राजस्थान के कलेक्टर्स ने अपने २ जिले की कितनी नगरपालिकाओं का निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट्स लिखी ?

(३) उक्त वर्ष में कितनी नगरपालिकाओं के विरुद्ध अव्यवस्था, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें हुई उनमें से कितनी की जांच हुई और उनके परिणाम क्या रहे ? अब जांच कितनी की हो रही है ?

Page No.12

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जिलाधीशों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे नगरपालिकाओं का निरीक्षण करें ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री माणकचन्द कोठारी : सूची मिली नहीं साहब ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

पुल निर्माण

१२७१. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:

(क) क्या ग्राम खाटयूण, तहसील कनवास के निवासियों द्वारा ग्राम के समीप अरू नदी पर एक छोटे पुल की मांग की गई थी ?

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ग) क्या यह सही है कि वर्षा काल में ग्रामवासियों को पुल के न होने से भारी असुविधा होती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संभव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत ।

बनाड़ बांध (जोधपुर)

१२७२. श्री बेनाराम गहलोत (खारची): क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान कृषि विज्ञान कांग्रेस ने बनाड बांध (जोधपुर तहसील) योजना सरकार को प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बांध के बन जाने से आसपास के करीब ९ गांवों की जमीन की सिंचाई हो सकेगी ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि वहां के ग्रामीणों ने भी सरकार के समक्ष कई दरख्वास्तें प्रस्तुत की हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या विचार किया ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) हां, १९५७ में राजस्थान कृषि विज्ञान कांग्रेस ने ऐसी एक योजना सरकार को प्रस्तुत की है ।

(२) इसकी सर्वे जारी है पूरा होने पर मालूम होगा कि कितने गांवों की सिंचाई हो सकेगी ।

(३) अधिकारियों को सर्वे के आदेश दिये गये हैं और योजना तैयार होने पर आगे विचार किया जायगा ।

श्री बेनाराम गहलोत : यह सर्वे करने के आदेश कब दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके आने के बाद दिये गये, योजना के आने के बाद ।

श्री बेनाराम गहलोत : कब तक पूरी हो जायगी ।

(उत्तर नहीं दिया गया)

बीड़ हटाने का ठेका, हनुमानगढ़

१२७४. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हनुमानगढ़, ज़िला गंगानगर के बीड़ को हटाने का ठेका कितने रुपयों में दिया गया तथा कितने एरिया का बीड़ कटवाया गया है ?

(ख) गंगानगर ज़िले में किस किस स्थान पर कितने कितने एरिया में फ़ोरेस्ट लगाने की योजना है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) २८४५० रु० में १०२२५ बीघा में पेड़ कटवाए गए।

(ख) क़रीब ५१९६ एकड़ भूमि में। हनुमानगढ़ तहसील में।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ये पेड़ कटवाये जायेंगे, इनसे आमदनी कितनी होगी, साहब ! पेड़ कटाने में इतना रुपया सर्फ़ किया, उससे आमदनी कितनी होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रुपया सर्फ़ नहीं किया, आमदनी की है।

श्री भीमसेन : एक जगह से फ़ोरेस्ट काटते हैं और दूसरी जगह लगाते हैं, इसका क्या मतलब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको कई दफ़ा समझा चुका हूं।

श्री श्रीभानसिंह : इस बीड़ को काटने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस तरह से हम जंगल लगाना चाहते हैं, यह बीड़ उसके लायक़ नहीं था।

श्री श्रीभानसिंह : आप किस तरह का जंगल लगाना चाहते थे, और अब जो कटवाया गया है, वह बीड़ किस तरह की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बीड़ में छोटी छोटी झाड़ियां थीं। इस जगह हम कॉमर्शियल प्लॉन्टेशन करवाना चाहते हैं।

श्री भीमसेन : इतनी बोली किसने दी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एरिया भी तो बड़ा है, १० हज़ार बीघा।

श्री श्रीभानसिंह : कॉमर्शियल प्लान्टेशन में किस तरह के पेड़ लगा रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शीशम है और दूसरे कई प्रकार के अच्छे कार्मशियल पेड़ उसमें ग्रो कर सकते हैं। मुझे नाम मालूम नहीं है कि एक्चूअली कौनसे पेड़ लगाने हैं।

श्री श्रीभानसिंह : कॉमर्शियल प्लान्ट लगाने के लिये क्या एक्सपर्ट ने राय दी थी ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पहले कई दफ़ा पूछा जा चुका है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें एक्सपर्ट से पूछने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

लघु सिंचाई योजना

१२७५. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलुम्बर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में लघु सिंचाई योजना के लिये कितनी रकम रखी गई है ?

(ख) इसमें से कितनी प्रतिशत रक़म फ़रवरी १९५८ के अन्त तक खर्च हुई ?

Page No.14

(श्री स नलाल भटनागर)

(ग) क्या भारत सरकार से लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत और रक़म मांगी गई है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये ७०,०३,००० रु० रखे गये हैं।

(ख) उपरोक्त कुल रक़म में से १५.४ प्रतिशत माह जनवरी ५८ तक खर्च हुआ। फ़रवरी ५८ का खर्चा मालूम किया जा रहा है।

(ग) लघु सिंचाई योजनाओं के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कुल २७६.३० लाख रुपये रखे गये हैं उसके अन्तर्गत हर साल खर्चे के मुताबिक़ भारत सरकार से रक़म मांगी जाती है।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह रक़म रखी गई थी, उसका कम प्रतिशत क्यों खर्चा हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास: इसके दो कारण हैं, एक तो प्राडक्टिव वर्क्स थे, वे पहले लिए जा चुके थे, उसके लिए जो पर्सेन्टेज रखा था, वह साढ़े चार पर्सेन्ट था, उस लिहाज़ से हम कर सकते थे। उसको लोअर डाउन करने के लिये कहा था तो अब ढाई पर्सेन्ट सेंक्शन हो चुका है। दूसरे हम सर्वे करके डिविज़न कायम करना चाहते हैं, वह काम कर रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : यह खर्चा हुआ, यह कौन कौन से डिविज़न में हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास: यह तो इस वक़्त नहीं बता सकता।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या सर्वे के स्टाफ़ में भी बहुत कमी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्टाफ़ में कमी होने की भी एक वजह है।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या सरकार सर्वे के स्टाफ़ को बढ़ाने का इरादा करती है ?

श्री रामकिशोर व्यास: यह तय कर दिया है।

श्री शोभा सिंह : क्या एक्सपेन्डीचर को डिफ़रेन्ट वर्क्स में डिवाइड कर दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास: यह तो सर्वे से पता चलेगा। हमें कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने लिखा है कि फ़लां वर्क यहां हो सकता है। उसको हम सर्वे कर रहे हैं।

राजराजा श्री सरदारसिंह : पूरे राजस्थान का सर्वे होगा, या डिस्ट्रिक्टस् में होगा, कुछ खास खास जगह होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास: जहां जहां से डिमान्ड आयेगी।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं ने प्रश्न के 'ग' भाग में पूछा था कि क्या भारत सरकार से लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत और रक़म मांगी गई है ? यानी सेकिन्ड फ़ाइव ईअर में जो रक़म तय की गई है, उसके अलावा और मांगी गई है ? इसका जवाब नहीं आया है।

श्री रामकिशोर व्यास: ऐसा है कि इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट के लिए कोई और रक़म नहीं मांगी गई है । एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की माइनर इर्रीगेशन की योजनायें होती हैं, उसके लिये रुपया मांगा गया था।

श्री सोहनलाल भटनागर: क्या भारत सरकार इसलिये रुपया नहीं दे रही है कि राजस्थान सरकार खर्च नहीं कर पा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास: उस हैड में जो रक़म दी थी, वह सब की सब खर्च हो गई है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या गवर्नमेन्ट ऑफ़ इन्डिया ने राजस्थान गवर्नमेन्ट को

Page No.15

(श्री भानसिंह)

कहा था कि माइनर इर्रीगेशन का एक्स-पेन्डीचर है, वह टोप पर है और that is disproportionately distributed between the districts.

श्री रामकिशोर व्यास : यह आपका ख्याल मालूम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल' काला-बादल ? ।

शिवरात्रि मेला मनोहरथाना (झालावाड़)

१२७६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में शिवरात्रि पर लगने वाले मवेशी मेले की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है और उस मेले से होने वाली आमदनी कौन वसूल करता है तथा वह किस कार्य में खर्च की जाती है ?

(ख) कस्टम ड्यूटी बन्द होने के बाद से आज तक इस मेले से कितनी आमदनी हुई और वह किस कार्य पर खर्च की गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) इस मेले की व्यवस्था सन् १९५५ तक तहसील व कस्टम विभाग द्वारा की गई। कस्टम विभाग के टूट जाने पर सन् १९५६ में इसकी व्यवस्था पंचायत द्वारा की गई और इसकी आमदनी भी पंचायत ने ही वसूल की। सन् १९५७ और १९५८ में इस मेले की व्यवस्था तहसील द्वारा की गई।

(ख) कस्टम टूट जाने के बाद इस मेले की सन् १९५७ में १५२७२ रु० साढ़े नौ आने और सन् १९५८ में तारीख २३-२-५८ तक ८११० रु० साढ़े ग्यारह आने आमदनी हुई है। जिसका ब्योरा तहसील से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। सन् १९५७ में खर्च रु० ११८० पौने पन्द्रह आने निकाल कर शेष रकम १४०९१ रु० पौने ग्यारह आने पंचायत को दे देने की आज्ञा तारीख ३१-१-५८ को दी जा चुकी है। इस साल की आमदनी तहसील में जमा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब पंचायतों का अधिकार है तो पंचायतों को रियलाइज़ करने का अधिकार क्यों न दिया जाय, तहसील को क्यों दे रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है कि पहले कस्टम डिपार्टमैन्ट की तरफ़ से मेले लगाये जाते थे। कस्टम डिपार्टमैन्ट के टूट जाने के बाद यह निश्चय किया जा रहा है कि कौनसे मेले एग्रीकल्चर डिपार्टमैन्ट को देने हैं और कौनसे मेले पंचायत को देने हैं। इसलिये इस बीच में यह व्यवस्था की गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो मेले पंचायत के पास हैं, उनकी व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी ही हो जायेगी। हमारे सामने सोचने की बात यह है कि राजस्थान में बहुत से मेले लगाये जाते हैं, जो राजस्थान बेसिस पर बहुत इम्पोर्टेन्स के हैं। अब यह देखना है कि कौनसे पंचायत को मेले देने हैं, और कौनसे गवर्नमैन्ट के पास रहें।

श्री पी०के० चौधरी : इस प्रश्न का रिप्लाई इनकम्प्लीट दिया गया है। इसमें पूछा है कि जो मेलों से आमदनी हुई वह किस कार्य पर खर्च की गई। आपने कहा कि पंचायत को दे दी गई। हम पूछना चाहते हैं कि किस वर्क पर यह एक्सपेन्डीचर हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी एक्सपेन्डीचर नहीं हुआ।

श्री पी० के० चौधरी : १९५७ का भी नहीं हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी आज्ञा दे दी गई है, पंचायत को रुपया नहीं दिया गया है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इस रक़म को जहां खर्च कर सकेंगे, वहां करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : कुछ ईयरमार्क्ड मनी होता है, उस ईयरमार्क्ड काम पर खर्च किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज़ किया कि अभी खर्च नहीं हुआ है। जो पंचायत का रुपया था, वह पंचायत को दे दिया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब नई पंचायत का इलैक्शन होगा, तब दे दिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसी पंचायत को मिलेगा।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, कि इतने दिनों से पंचायत इन मेलों का प्रबन्ध कर रही थी और वसूली भी पंचायत कर रही थी, पंचायत एक्ट में भी मेले लगाने का अधिकार पंचायतों को दिया गया था। तब मेले तहसील क्यों लगाये और रक़म को रखे। पंचायतों को यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया है, जिससे वे रक़म को गांव की सफ़ाई पर खर्च करते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैंने अर्ज़ किया कि पहले गांवों में मेले लगते थे, वह कस्टम डिपार्टमेन्ट के लोग लगाते थे। अब कस्टम डिपार्टमेन्ट टूट जाने के बाद यह तय करना है कि कौनसे मेले एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को दिये जायें, जैसे नागौर आदि के मेले के हैं। सवाल यह हुआ कि कौनसे मेले किसके पास रहने चाहियें। इसलिये बीच में यह व्यवस्था की गई है। मैंने कहा कि जल्दी निश्चय होने पर यह मेले पंचायत को दे दिये जायेंगे और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के होंगे, वे एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को दे दिये जायेंगे।

श्री श्रीभानसिंह: कौनसे मेले पंचायत के पास रहेंगे और कौनसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के पास रहेंगे, इसको कैसे इवॉल्व किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह इम्पोर्टेन्स को देखते हुए होता है। बहुत से मेले राजस्थान बेसिस पर होते हैं, राजस्थान इम्पोर्टेन्स के मेले होते हैं, जैसे नागौर का मेला होता है, बहुत से मेले डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेन्स के मेले होते हैं, वे उनके लिए कहते हैं कि उन्हें दे दिये जायें। कुछ जो पंचायत के एरिया के हैं, वे उनको देने चाहिये। जैसा पंचायत एक्ट में लिखा हुआ है, वह उन्हें मिलेगा, इसमें डाउट क्यों हो रहा है ?

श्री श्रीभानसिंह : ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े मेले होते हैं, जिनसे ज्यादा इन्कम होती है, वे मेले एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ले ले और जो डेफ़ीसिट में रन करे, उनको पंचायत को हैन्ड ओवर कर दे। क्या आप पंचायतों का राइट सुरक्षित रखेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो राजस्थान बेसिस के मेले हैं उनको पंचायतों को नहीं दे सकते। जो पंचायत के एरिया में आते हैं उनको लगाने की इजाजत उन्हें दे दी जायगी। तमाम राजस्थान के मेले पंचायत ले लें, यह ग़लत है।

श्री श्रीभानसिंह : अगर कई लोकलिटी की पंचायत सरकार को पत्र भेजे कि हमें इस मेले को लगाने की इजाजत दी जाय, हम इसको लगाने के लिये तैयार है, तो क्या उनको इजाजत दे दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो पंचायत के अधिकार के हैं, वे दिये जायेंगे। इसमें डाउट क्यों हो रहा है ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सन् १९५८ में जो मेला लगा है, उसकी रकम तहसील में जमा है, वह कब तक दे दी जायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फरवरी में जो मेला लगा है। फिर भी जो खर्चा हुआ है उसको काट कर आमदनी पंचायत को दे दी जायगी, इसमें डाउट की बात नहीं है।

Page No.17

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इस मेले की रकम किसने वसूल की है, पंचायत ने की है या तहसील ने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि पहले कस्टम डिपार्टमेंट मेले लगाता था। अब तहसील लगाती है और उसका रुपया जमा है, उसमें से खर्चा को निकाल कर पंचायत को दे देंगे। लेकिन इस दरम्यान तहसील लगा रही है क्योंकि अभी निश्चय नहीं हुआ है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये बता दूं कि पंचायत ने इस मेले का प्रबन्ध किया। जब से कस्टम डिपार्टमेंट टूट गया, पंचायत बराबर मेले लगाती रही है और आमदनी वसूल करती है, लेकिन जो आमदनी वसूल हुई वह तहसील वालों ने अपने यहां ले ली। तो प्रबन्ध तहसील ने किया नहीं था, पंचायत ने किया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया सन् १९५६ में पंचायत ने लगाया। १९५७ में जो आमदनी हुई, उसमें से खर्चा निकाल कर उन्हें दे दिया गया है। १९५८ में जो आमदनी हुई है, उसमें से खर्चा निकाल कर उन्हें दे दी जायेगी।

श्री श्योपतसिंह : खर्चे को काट कर उन्हें आमदनी दी जाती है इससे अच्छा है कि उन्हें इजाजत क्यों न दे दी जाय ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

कालख बांध

१२७७. श्री लादूराम मुलाणिया (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या गत वर्ष कालख बांध की नहर की मोरियों के रीमोडलिंग के बारे में तहसील दूदू मोजमाबाद के काश्तकारों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

(ख) क्या गत वर्ष भी सिंचाई की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने रीमोडलिंग का एस्टीमेट भी बनाया था ?

(ग) क्या सरकार इस वर्ष उक्त बांध की नहर की मोरियों का रिमोडलिंग करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास):

(क) नहीं।

(ख) रिमोडलिंग की आवश्यकता नहीं थी सिर्फ जल वितरण को अधिक सुविधा-जनक बनाने के लिये मोरियों को सुदृढ़ बनाने का एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।

(ग) मोरियों के रिमोडलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है केवल मोरियों को अगले वित्तीय वर्ष में सुदृढ व पक्की बनाने का विचार है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह आवश्यक क्यों नहीं है जब कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मोरियां खराब होने से सरकार का पानी खराब जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मोरियां ठीक हैं पर आउटलेट खराब है, ओवर डैम कर दिया था, उनको ठीक करके पक्का कर दिया जायगा तो कोई शिकायत नहीं रहेगी।

श्री लादूराम मुलाणिया : क्या इसके लिये प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किये गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है प्रार्थना-पत्र पेश किये गये हों पर आउटलेट खराब है, उनको ठीक करवाने के बाद पक्का बनवा देते हैं तो शिकायत मिट जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण वर्मा !

Page No.18

गैर सरकारी कम्पाउन्डर, ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा के चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों पर प्रतिबन्ध

१२७८. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा में एक प्राइवेट कम्पाउन्डर चिकित्सा कार्य करता है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त कम्पाउन्डर की अनभिज्ञता के कारण कई व्यक्तियों को हानि हुई है ?

(ग) क्या उसके पास अपनी चिकित्सा संबंधी योग्यता का प्रमाण-पत्र है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या उक्त अनुभवहीन कम्पाउन्डर के कार्य पर सरकार रोक लगायेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । इस विभाग को ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

(ग) ऐसा मालूम हुआ है कि इस कम्पाउन्डर ने रजिस्ट्रार इन्डियन मेडिसन बोर्ड से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है जिसके आधार पर यह व्यक्तिगत प्राइवेट तौर पर चिकित्सा करता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) इस समय कोई कानून ऐसा प्रचलित नहीं है जिसके तहत उन कम्पाउन्डरों को चिकित्सा सम्बन्धी कार्य से रोका जा सके ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि इस प्रकार के नियम बनाये जायें कि जो प्राइवेट तरीके से काम करने वाले हैं और जिनके पास योग्यता का प्रमाण-पत्र नहीं है उनको जनता के स्वास्थ्य के हित को दृष्टि में रखते हुए, इस प्रकार की चिकित्सा करने से रोका जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया इन्डियन मेडिसन बोर्ड से उसने प्रमाण-पत्र हासिल कर रखा है और उसके अनुसार वह चिकित्सा करता है । बोर्ड ने उसे रजिस्टर कर रखा है ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या कम्पाउन्डर को वैद्य के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसने वैद्य का सर्टिफिकेट हासिल कर रखा है ।

श्री बहादुरसिंह : कहां से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो मुझे इस समय मालूम नहीं पर इन्डियन मेडिसन बोर्ड ने उसे रजिस्टर कर रखा है ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या कम्पाउन्डर वैद्य का काम कर सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : करना तो नहीं चाहिये, पर करता है । बोर्ड ने उसे रजिस्टर कर रखा है ।

श्री श्रीभान सिंह : क्या बोर्ड ने कम्पाउन्डर को गलत रजिस्टर नहीं किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड के पास डिस्ट्रिक्ट, मजिस्ट्रेट की ओर से सिफारिश आती है, इस पर उसे रजिस्टर किया जाता है ।

श्री बहादुरसिंह : क्या आप इस बारे में जांच करेंगे ?

Page No.19

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जो सूचना आई है वह यह है कि उसका ठीक तरह से रजिस्ट्रेशन किया गया है और उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

सिंचाई हेतु तालाब का निर्माण, ग्राम नोहती, तहसील दीगोद

१२७९. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम नोहती, तहसील दीगोद का तालाब सिंचाई के लिये बनवाया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि इसके लिये एक छोटी सी नहर भी बनाई गई थी ?

(ग) क्या यह भी सही है कि जिन लोगों की जमीन इस बांध के अन्तर्गत है उन्होंने मोरी के पत्थरों को इसलिये उखाड दिया है कि तालाब शीघ्र खाली हो जाय ?

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर ध्यान दे कर इसकी पुन: मरम्मत करवा कर सिंचाई कार्य प्रारम्भ करेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) सूचना संग्रह की जा रही है ।

(घ) यदि आवश्यकता होगी तो अवश्य ।

श्री भैरोंसिंह : (ग) का उत्तर सुना नहीं ।

श्री राम किशोर व्यास : लीजिये फिर से सुना देता हूं, "सूचना संग्रहित की जा रही है" ।

श्री भैरोंसिंह : अब तक सूचना संग्रहित क्यों नहीं की जा सकी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की लिस्ट, पंचायत पर नहीं है, इसलिये । ५० एकड से कम का इर्रीगेशन पंचायतों को ट्रान्सफर किया गया है ।

श्री रामनारायण वर्मा : तो फिर (क) का जवाब 'हां' में कैसे दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो ठीक है, है वह ।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

जयपुर में चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि किये जाने संबंधी व्यवस्था

१२८०. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर नगर में कितनी डिस्पेन्सरियां हैं ?

(ख) क्या सरकार नगर की बढती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए इनकी तादाद बढाने की सोच रही है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) जयपुर नगर में निम्नलिखित ७ डिस्पेन्सरियां हैं :

१. मेयो डिस्पेन्सरी (सांगानेर दरवाजा)।

२. पुरानी बस्ती डिस्पेन्सरी (गनगोरी दरवाजा) ।

३. सिरेड्योढी डिस्पेन्सरी ।

४. मोती कटला डिस्पेन्सरी ।

५. सरदार पटेल रोड डिस्पेन्सरी (रेंजीडेन्सी के पास) ।

६. गांधी नगर डिस्पेन्सरी व

७. टी. बी. क्लिनिक ।

Page No.20

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ख) इस समय आर्थिक कठिनाइयों के कारण जयपुर में और नई डिस्पेन्सरियां खोलना सम्भव नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डा० बहादुरसिंह : क्या जयपुर के लिये मेंटल (Mental) होस्पिटल की आवश्यकता ज्यादा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो सारे राजस्थान के लिये है, और जगह के लिये विचार किया जा रहा है।

डा० चन्द्रकला : क्या सरकार समझती है कि यह डिस्पेन्सरियों की संख्या जयपुर के लिये अपर्याप्त है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो चाहता हूं, हर गांव में हो जाना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह : क्या मंत्री महोदय १४ साल बाद मैन्टल होस्पिटल की विजिट करेंगे ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं चाहता हूं कि आप भी विजिट कर लें तो अच्छा है।

श्री चन्दनमल बैद : क्या अलवर में एक मैन्टल होस्पिटल खोलने का विचार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरदारशहर के लिये प्रोपोजल दिया हुआ है।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : क्या मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य में कहा था कि मैन्टल होस्पिटल में आप १४ वर्ष बाद आय हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक फंक्शन में मैं वहां गया था तो मैंने कहा था। मुझे अफसोस है कि मुझे वहां देखने जाना पड़ता है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या मंत्री महोदय ने उस फंक्शन की अध्यक्षता की थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने एड्रेस किया था।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय मित्र मंत्री महोदय के साथ थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी आवश्यकता नहीं।

डा० चन्द्रकला : क्या सरकार को मालूम है कि आबादी को देखते हुए जयपुर में डिस्पेन्सरियों की व्यवस्था अपर्याप्त है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया न कि मैं तो चाहता हूं हर गांव में हर मौहल्ले में डिस्पेन्सरियां होनी चाहिये। अपर्याप्त जरूर हैं, पर जैसे जैसे फंड प्राप्त होंगे, त्यों त्यों इन्हें बढाया जायगा।

डा० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न डिस्पेन्सरियों की संख्या के संबंध में नहीं। जो डिस्पेन्सरियां हैं उनमें दवाएं और बैठने का स्थान आदि अपर्याप्त है क्या ? यह मेरा प्रश्न है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका प्रश्न आया, उसका जवाब दिया, अब तो मैं इनकी संख्या के बारे में बता रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह हास्पिटल में रोगियों की कतारें घंटों तक लगी रहती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं ऐसी बात तो नहीं है, ट्रायल देने की बात नहीं, बहुत रोगी आते हैं तो भीड़ हो जाती है।

श्री जयसिंह राणावत : क्या यह सही है कि प्रिवेन्शन इज बेटर देन क्योर की नीति पर अमल नहीं करने के कारण रोगियों की संख्या बढ रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सही है रोगी भी बढ़ रहे हैं, अस्पताल भी बढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री गणपतिलाल वर्मा ।

गोबटा बांध भीलवाड़ा

१२८१. श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या भीलवाड़ा ज़िले का गोबटा नामी बांध को पूरा करने के लिये गत पंच वर्षीय योजना में पूरी रक़म स्वीकृत थी? यदि हां, तो कितनी? क्या वह बांध पूरा हो गया? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? और वह कब तक पूरा हो जावेगा?

(२) इस बांध से १९५४-५५, ५६-५७ में कितनी कितनी भूमि की सिंचाई हुई और उसकी आमद कितनी हुई?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में गोबटा बांध के लिये रु० २,५०,००० स्वीकृत थे और उसका कार्य सन् १९५४ में पूरा हो चुका है।

(२) इस बांध से जो सिंचाई व आमदनी हुई वह इस प्रकार है :—

	सिंचाई	आमदनी
१९५४-५५	पौने सोलह बीघा।	३१ रु. ६ आ.
१९५५-५६	पौने बीस बीघा	१० रु. २ आ.
१९५६-५७	दो सौ निन्यानवे बीघा पंद्रह बिस्वा।	१३५३ रु. ८२ न.पै.

श्री गणपतिलाल वर्मा : सिंचाई इतनी कम कैसे हुई?

श्री रामकिशोर व्यास : कैनाल्स ठीक नहीं हैं।

श्री गणपतिलाल वर्मा : कैनाल्स कब तक ठीक हो जावेंगी?

श्री रामकिशोर व्यास : जल्दी ही ठीक करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा।

बांसवाड़ा में बम्परी से पशुओं की मृत्यु

१२८२. श्री हीरा (कुशलगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा में १९५५-५६-५७, में बम्परी से कुल कितने जानवर मर गये?

(ख) क्या सरकार ने मवेशी दवाखाना खोल रखा है किन्तु उक्त दवाखानों में जानकार डॉक्टर नहीं रखा गया एवं दवाइयों का भी पूरा स्टाक नहीं रखा है?

(ग) क्या तीन साल तक बीमारी से मवेशी मरते रहे व वर्तमान दवाई से कोई असर नहीं हुआ, फिर भी दवाई का परिवर्तन करना सरकार ने नहीं सोचा?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जानवरों की मृत्यु के आंकड़े इस विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं। यह आंकड़े राजस्व विभाग द्वारा रखे जाते हैं। जानवरों की मृत्यु केवल एक ही बीमारी से नहीं हुई। उस समय अकाल भी बांसवाड़ा जिला में था, अतः मृत्यु का एक कारण यह भी है। स्वाभाविक मृत्यु से भी जानवर मरे, अन्य कई रोग तथा संक्रमण रोगों से भी मृत्यु हुई।

(ख) सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा में ५ पशु चिकित्सालय खोल रखे हैं जो इस प्रकार हैं :

बांसवाड़ा, घाटोल, गढी, बागीडोर तथा कुशलगढ़। बांसवाड़ा पशु चिकित्सायल में जानकारी डॉक्टर रखा गया. परन्तु अन्य

(श्री नाथूराम मिर्धा)

४ चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी के कारण कम्पाउन्डरों को इन चिकित्सालयों का इन्चार्ज बनाया गया है। दवाइयों की कमी रही है, परन्तु जो इस बीमारी के रोकने के लिये सीरम तथा वेक्सीन जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसकी कोई कमी नहीं रही। इन पशु चिकित्सालयों में निम्नलिखित संख्या में पशुओं को बीमारी से बचाने के लिये टीके लगाये गये मई ५७ से सितम्बर ५७ तक बांसवाड़ा, २,३१६, घाटोल ६२६, घढ़ी ६८४, कुशलगढ़, १,८८८ ।

(ग) यह सही नहीं है कि दवाई से कोई असर नहीं हुआ। मवेशियों की मृत्यु के अन्य कई स्वाभाविक कारण; जैसे अकाल, नेचरल कान्टेंजियस और नौन कॉन्टेंजियस वगैरह भी थे।

एक माननीय सदस्य : बम्परी, यह क्या बिमारी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मौत की बीमारी है ।

श्री हीरा : दवाइयें नहीं होने से व सीरम तथा वेक्सीन जिसकी जरूरत होती है न मिलने से व दवाइयें खराब होने से उनकी मृत्यु हुई । इसके अलावा उन दवाइयों को काम में नहीं लिया गया।

श्री नाथूराम मिर्धा : वे अच्छे थे । जिनके लगाये गये, वे अच्छे हो गये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने बताया कि जानवरों की गणना का रजिस्टर नहीं रखा जाता । रजिस्टर में जिनका इलाज होता है वह तो दर्ज रहता है तो इससे यह तो मालूम हो सकता है कि कौनसी बीमारी से मरे। यह तो गणना रहती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो दर्ज हो गये उसका तो पता रहता है लेकिन कुल कितने जानवर मर गये, उसका पता नहीं लग सकता।

डा० बहादुरसिंह : क्या सरकार गांवों में दूसरे लोग जो चिकित्सा करते हैं उनका सहयोग लेने के लिये तैयार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गांवों में कौन लोग करते हैं चिकित्सा यह मुझे मालूम नहीं ।

श्री बहादुरसिंह : जो लोग देशी तरीके से जानवरों का इलाज करते हैं।

श्री अध्यक्ष : जानवरों का आयुर्वेद ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई सहयोग दे तो तैयार हैं ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि बांसवाडा के लिये देशी डाक्टर इसके लिये रखे हैं ।

श्री हीरा : कम्पाउन्डर है डाक्टर नहीं है। जब उनको कहा जाता है कि चलो तो वे कहते हैं कि फ़ीस दो। फीस देते हैं तो वे चले जाते हैं। जितने हैं वे सरकारी कम्पाउन्डर हैं उनको सरकार से तनख्वाह मिलती है फिर भी वे फीस लेते हैं ।

एक माननीय सदस्य : बांसवाड़ा में ठीक तरह से व्यवस्था क्यों नहीं की गई।

श्री हीरा : काफी कम्पाउन्डरों से परेशानी हुई है ।

श्री अध्यक्ष : आपने बताया, उसकी जांच करेंगे ।

(विराम)

नेक्स्ट : श्री मोडूलाल ।

चम्बल बांध की नहरों के लिये ली गई जमीन का मुआवजा

१२८३. श्री मोडूलाल (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चम्बल बांध की नहरें, जहां खोदी जा रही हैं, उसके लिए बूंदी जिले की

Page No.23

(श्री मोडूलाल)

कितनी जमीन किसानों से प्राप्त की गई ? गांववार सूची बतलाइये।

(२) इनमें से कितनी जमीन का मुआवजा सरकार दे चुकी है ?

(३) बाकी कब तक देने का इरादा है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) बूंदी जिले में ६५०६ बीघा ५४ बिस्वा भूमि चम्बल की बाई नहर तथा उससे निकली हुई छोटी शाखा नहरों के लिये प्राप्त की गई। ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) अब तक १६२० बीघा १४ बिस्वा भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है।

(ग) शीघ्र ही।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिह : बाकी कब तक दिया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : शीघ्र ही।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कौन से रूल के अनुसार ?

श्री रामकिशोर व्यास : लैन्ड एक्विजिशन एक्ट है, उसके अनुसार।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मुरली धर।

पुलिस थाना, बीकानेर में हुई इन्द्रचन्द सुनार नामक व्यक्ति की मृत्यु

१२४७. **श्री मुरलीधर व्यास,** (बीकानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सत्य है कि रतनगढ़ निवासी एक युवक श्री इन्द्रचन्द सुनार की मृत्यु बीकानेर 'सी' थाना पुलिस कस्टडी में हुई ?

(२) उसकी मृत्यु का कारण क्या है ?

(३) क्या इन्द्रचन्द सुनार पहिले भी सजायाफ्ता रह चुका है ? उसकी जेल रिपोर्ट कैसी है ?

(४) उसकी लाश किसने कब और कितने बजे जलाई ? क्या उसे रातोंरात जलाने का भी कोई प्रयत्न किया गया था ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) यह अस्पताल में मर गया जबकि वह थाना कोतवाली न कि बीकानेर 'सी' के अधिकार में बन्दी था।

(२) थाने की जेल की दीवार पर खुद का सर ही टकराने से सर्जीकल वरटेब्रा का अन्दुरूनी डिस्लोकेशन हो जाने से सर में अन्दुरूनी चोट आजाने से उसकी मृत्यु हुई।

(३) जी हां! उसका जेल में चाल चलन संतोषजनक था।

(४) म्युनिसिपल कानून के अनुसार एस. डी. एम. सिटी बीकानेर की आज्ञा से दिनांक २९-९-५७ को प्रातःकाल म्युनिसिपैलिटी द्वारा मृत शरीर को २८-९-५७ की रात्रि को जलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

श्री पी. के. चोधरी : My point was that when the Police suspected that the man was trying to commit suicide, why not proper action was taken beforehand.

श्री अध्यक्ष : He does not say so.

श्री पी. के. चोधरी : It is implied therein.

श्री अध्यक्ष : Nothing is implied.

श्री पी. के. चौधरी : My question is that when there were serious injuries caused to the man, this procedure was not enough. On receiving serious injuries, statement should have been recorded.

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी ऐसी सीरियस कन्डीशन नहीं थी।

श्री श्रीभानसिंह : How long did the man survive in the Hospital ?

(सदन में चुप्पी रहने के कारण)

श्री अध्यक्ष : श्री मोघजी।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका जवाब पूरा नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : काफी प्रश्न पुछे जा चुके हैं, आपका समाधान हुआ है या नहीं यह दूसरी बात है।

श्री पी. के. चौधरी : There is a doubt. It has not dispelled our doubt Sir.

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : That is not necessary. He has given all the information that he has got and we have given it enough time in the House.

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें टाइम का सवाल नहीं है। जानकारी स्पष्ट मिलनी चाहिये, जब तक प्रश्न का समाधान न हो मन्त्री महोदय को उत्तर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मजिस्ट्रेट के पास इन्क्वायरी हो गई। इन्जरी रिपोर्ट के लिये बता दिया इससे संतोष न हो, यह दूसरा प्रश्न है।

श्री श्रीभानसिंह : यह काफ़ी इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। मन्त्री महोदय को यह लगा होगा कि मोर दैन रूटीन आन्सर की जरूरत नहीं है। इसलिये इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेन्ट उनको देना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : आधा घंटा इसके लिए . . .

श्री अध्यक्ष : उसके लिये अलग से प्रोसिजर है उसको एप्लाई कीजिये। सदन में ऐसी बातें उठाने से क्या फ़ायदा है?

(विराम)

श्री मोघजी।

बांसवाड़ा में पुलिस कर्मचारियों द्वारा महिलाओं के साथ किया गया व्यभिचार

१२४६. **श्री मोघजी** (बांसवाड़ा क्षेत्र) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् ५६-५७-५८ में बांसवाड़ा पुलिस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करने आई हुई महिलाओं के साथ किन किन अफ़सरों तथा सिपाहियों ने थाने में या थाने से अन्य किसी होटल में ले जाकर व्यभिचार किया तथा ऐसे निकृष्ट कृत्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को क्या दण्ड दिया गया?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : सब-इन्सपक्टर अब्दुल रज्ज़ाक़ सेकिन्ड औफ़ीसर कोतवाली तथा सिपाही देवीसिंह और अन्य ने व्यभिचार किया बताया। अब्दुल रज्ज़ाक़ को नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया गया है। देवीसिंह और छगन सिपाहियों को सस्पेन्ड कर दिया गया है और उनके विरुद्ध क्रिमिनल केस की तफ़तीश की जा रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : व्यभिचार किया बताया गया या किया गया?

Page No.25

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक प्रूव न हो जाय, ऐसी एवीडेन्सेज़ आयी हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : यह रिपोर्ट जो · · ·

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री मोघजी ।

श्री मोघजी : जो महिलायें वहां गई थीं, वे कौन कौन थीं ? उनके साथ जिन्होंने व्यभिचार किया उनके ख़िलाफ़ क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास: एक को सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया और दूसरों के लिये प्रोसिक्यूशन जारी है।

श्री मोघजी : उन महिलाओं के नाम बताये जायं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप जानते होंगे।

श्री अध्यक्ष: कोई विशेष आवश्यकता है, जानकारी की ?

श्री मोघजी : जी हां, नाम तो ज़रूरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहर सिंह ।

तहसील पंचायत राजगढ़ चूरू

१२५०. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजगढ़, तहसील पंचायत ज़िला चूरू का चुनाव कब हुआ ?

(२) इस चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ ?

(३) इतना कम मतदान होने का क्या कारण था ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) २८-१-५६ को।

(२) चुनाव में केवल दो मत डाले गये।

(३) बार बार चुनाव के लिये प्रयास किया गया परन्तु चुनाव नहीं करवाया जा सका पांचवीं बार चुनाव की तारीख़ निश्चित की गई जिसमें २ मतदाताओं ने भाग लिया और किसी ने भाग नहीं लिया। मतदाताओं को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह उनकी इच्छा की बात है कि वे वोट डालें या नहीं डालें।

श्री चन्दनमल बैद : कुल कितने मत थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया, 'दो'।

श्री चन्दनमल बैद : कुल कितने थे, जिनमें से दो मत पड़े ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे पंच थे, जिसमें से पड़े।

श्री मोहरसिंह : वोटर लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायतों के पंच थे, इसमें वोटर लिस्ट का सवाल नहीं।

श्री मोहरसिंह : कुल वोटर लिस्ट में कितने नाम दर्ज थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो आपको भी मालूम हो सकता है कि तहसील पंचायतों और पंचायतों के कितने पंच हो सकते हैं।

श्री मोहर सिंह : मैं सूचना दूं कि २६४ पंच हैं। लेकिन वोटर लिस्ट अधूरी थी। लोगों ने एतराज़ किया फिर भी उस पर चुनाव कराने की ज़िद्द की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं उससे इन्कार नहीं करता।

Page No.26

श्री पी. के. चौधरी : The second part of the question was specific. The percentage of votesis required and not the number of votes.

क्या पर्सेन्टेज हुआ। दो वोट बताये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २६४ में से दो पड़े तो पर्सेन्टेज आप भी निकाल सकते हैं। १ पर्सेन्ट से भी कम।

श्री पी. के. चौधरी : What percentage of the votes was false?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : More than one per cent.

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है····

श्री पी. के. चौधरी : What.

श्री अध्यक्ष : He is asking a question. Please don't interrupt like this.

श्री मोहरसिंह : चुनाव हो रहे थे, लोगों ने एतराज़ किया कि सूची अधूरी है, पहले वोटर लिस्ट को ठीक किया जाय और फिर चुनाव किय जाय, लेकिन यह नहीं किया और ज़िद्द की।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी बात नहीं है। चार पांच बार मौक़ा दिया गया। कुछ लोग झगड़ा करना चाहते थे, वे पहले हार गये थे। चार पांच बार मौक़ा देने पर भी लोग नहीं आये, लोगों को ज़बरदस्ती रोका गया। फिर चुनाव कराये।

श्री मोहरसिंह : २६४ में से दो दो मत डाले तो, क्या सब ही नहीं डालना चाहते थे, उनका चुनाव के बारे में क्या कोई एतराज़ नहीं था?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको रोका गया।

एक माननीय सदस्य : क्या उस वक्त चुने गये सरपंच आज जेल में हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह दूसरा प्रश्न है।

(समय समाप्ति सूची घंटी)

श्री मोहर सिंह : यह ज़रूरी प्रश्न है थोड़ा समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष : समय हो गया है।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक प्रश्न रह गया है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : काफ़ी रह गये हैं। अब समय हो गया है।

९-७ म. पू.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

विधान सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पुर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री भोगीलाल पंड्या ने दिनांक ९-४-५८ से १६-४-५८ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

९-८ म. पू.

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९५८

(अग्रेतर विचार एवं प्रवर समिति को निर्देश)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान फ़ोरेस्ट (अमेन्डमेन्ट) बिल पर बहस हो रही थी, २८ माननीय सदस्य बोल चुके हैं और अब मेरे ख्याल से प्रश्न उपस्थित किया जाय।

Page No.27

श्री भैरोंसिंह (१४) : अभी और बोलने हैं।

श्री अध्यक्ष : आगे और स्थिति आवेगी, उस वक्त बोल सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : थर्ड स्टेज आजावेगी बीमारी की, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कौन कौन माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने को प्रस्तुत होने पर)

श्री भीमान सिंह : On a point of information, Sir. I want to know whether the Chair has taken any decision on the admissibility of the motion tabled by Hon'ble Member, Shri Hoti Lal.

श्री अध्यक्ष : Not yet.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप (श्री फूला भाई) बोलिये।

श्री फूला भाई : (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल से वाद-विवाद सुन रहा हूं। जो माननीय सदस्य इस पर बोले हैं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, मैं उनसे सहमत हूं। जो जंगलों के लिये पांच सौ से दो हज़ार तक का जुर्माना रख दिया गया है वह ठीक नहीं है क्योंकि अधिक आदिवासी लोग पहाड़ों के अन्दर ही आबाद हैं। सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर पाहाड़ी क्षेत्र हैं और आदिवासी लोग पहाड़ों में ही रहते हैं, जिनके पास पहाड़ों में एक एक डेड़ डेढ़ बीघा जमीन रहती है। उनके घरों के बाहर से ही जंगल लगते हैं, चारों तरफ़ से खेत जंगलों से घिरे हुए हैं, उनके लिए फिर इससे बड़ी भारी मुश्किलें हो जावेंगी। वे मवेशी रखते हैं, घी, दूध, पर जीवन निर्वाह करते हैं। वहां गेहूं मक्का ज्वार नहीं होता है। कुरी, माल, बटी, खर, धान, आदि पैदा करते हैं और छाछ दूध से निर्वाह करते हैं। यह जो बिल लाया गया है उससे हमारे पहाड़ी प्रान्त में रहने वाले लोगों के लिये बड़ी मुश्किल है। जिस जंगल को बढ़ाने के बारे में वन विभाग कोशिश कर रहा है उससे मैं सहमत हूं। आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे क्षेत्र की पहाड़ियां नंगी हो रही है और पहाड़ियों के नंगी होजाने से बीमारियां बढ़ती जा रही है। पहाड़ यदि हरे भरे रहते हैं तो बीमारियां भी कम आती है। आज, हमारे यहां पहले जो पहाड़ी झरने बहते थे, वह भी बन्द हो रहे हैं, झीलों में पानी नहीं रहा है। पेड़ जो लहराते थे वे बन्द हो रहे हैं और पेड़ों के न होने की वजह से वर्षा भी कम हो रही है। पेड़ अधिक होते हैं तो हवा ठहर जाती है और हवा के ठहर जाने से बादल भी ठहर जाते हैं और वर्षा वहां होने लग जाती है। जब पानी की बहुतायत होती है तो अनाज भी पैदा होता है और उससे वहां के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पहाड़ियां नंगी रहने से पहाड़ियां धूप से गरम रहती है और उस गरमी की वजह से बीमारी फैलती है। और जब बीमारी फैलती है तो उसके लिये हज़ारों दवाइयां करते हैं हज़ारों रुपया अस्पतालों पर ख़र्च करना पड़ता है। जहां पहाड़ी ज़मीन को हरा भरा करने का सवाल है, वहां पर तो मैं सहमत हूं। मेरा यह भी निवेदन है कि जंगलों की बरबादी को रोका जाय ताकि पेड़ हरे भरे होजायें। मेरा यह भी निवेदन है कि जंगलों को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिये। यह वन मन्त्री महोदय के घर की बात नहीं है सारे प्रान्त की बात है सब यह चाहते हैं कि जंगल बढ़ते रहें हरियाली फलती फूलती रहे : "प्यारे, प्यारे पक्षी बोलें मीठा मीठा बोलें मोर, तीजी घड़ी तीज दिन है इन्द्र की मौज।"

हमारा यह निवेदन है कि जंगलों को बढ़ाने का सवाल यहां हर बच्चे बच्चे का सवाल है। इसके अन्दर जो जुर्माने की रक़म रखी है उसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूं, इतना जुर्माना नहीं रखा जाना चाहिये इसके लिये जो कमेटी तय करे, वह रखा जाना चाहिये वैसे ही इतना जुर्माना रख देना हमारे लिये मुसीबत होगी, इतना कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर जिस ढंग से कल से वाद-विवाद हो रहा है, उससे मैं ऐसा समझने के लिये तैयार हूं कि हो सकता है, उस वाद-विवाद से माननीय वन मन्त्री पर कुछ प्रभाव पड़ा होगा। यह सदन के इतिहास में पहला अवसर है जब कि विरोधी दल के सदस्यों के अलावा दल के अधिकांश सदस्यों ने एक साथ इस बिल के विरोध में आवाज़ बुलन्द की। जिस प्रकार का संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह आपत्तिजनक है, विशेष तौर से उन लोगों के लिये आपत्तिजनक है जो जंगल से लकड़ी काटकर अपने जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं? अध्यक्ष महोदय, जो आदिवासी क्षेत्रों से माननीय सदस्य आए, जो आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की विचार धारा इस बिल के सम्बन्ध में सदन में प्रस्तुत की उससे ऐसा लगता है कि अगर इस क़ानून में संशोधन स्वीकार किये गये तो निश्चित रूप से उन लोगों की रोटी रोजी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मुझे तो आशा है कि वन मन्त्री महोदय ज़रा अपने हृदय को टटोल कर सदन की भावनाओं के अनुकूल इसे बनाने की चेष्टा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस प्रकार का नहीं है कि जो कुछ भी सरकारी अधिकारियों ने संशोधन का सुझाव दे दिया उसी के अनुसार हम संशोधन करदें और उसी को मान्यता दे दें। हमें इसमें सदन की भावनाओं का सम्मिश्रण करना होगा। इसलिये मैं स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं, इस बिल को वापिस लेने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में सज़ा में वृद्धि करने का भी प्रावधान किया गया है, कम्पाउन्ड केसेज़ की जो तादाद मुक़र्रर थी उसमें भी वृद्धि करने का प्रावधान इसमें किया गया है। इस के लिये अध्यक्ष महोदय, हमें दो दृष्टिकोण से इसे देखना होगा: सज़ा हम देते हैं तो किस को देते हैं इसके दो भाग हो सकते हैं। एक तो इसमें वे व्यक्ति आते हैं जो रात दिन जंगलों के पास रह कर वहां से लकड़ियां काट कर पत्तियां काट कर या मवेशी चराकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का एक वर्ग है, ऐसा मैं समझता हूं। दूसरे वे व्यक्ति हैं जो जंगलों का ठेका लेते हैं और ठेका लेने के बाद ठेके के एग्रीमेन्ट में जो शर्तें होती हैं, उन शर्तों का उल्लंघन करके लकड़ी काटते हैं और इस तरह से फ़ोरेस्ट ऑफ़ेन्स करते हैं ऐसे व्यक्तियों पर निश्चित रूप से प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। जहां तक पहले वर्ग वाले व्यक्तियों का सवाल है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं उनके लिये इस बात की आवश्यकता नहीं। लकड़ी की क़ीमतों में वृद्धि हुई है, इस बात का आधार लेकर सज़ा देने की जो तादाद निश्चित की गई है यह इस प्रकार का आधार नहीं जिसको मान कर सज़ा में वृद्धि करें। हम अगर सज़ा में वृद्धि करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण यह रहता है कि जरायम की रोकथाम की जाय। लेकिन वह पैसों की सज़ा से नहीं हो सकती। जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत बचा खुचा है उस पर सरकार अधिकार कर ले या उसको खींच ले इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। वे लोग ऐसा महसूस कर सकें कि जो काम हमने किया उसकी एवज़ में जिस प्रकार की सज़ा तजवीज़ की गई है, उससे इब्रत लेनी चाहिये। ग़रीबों के ऊपर अगर हम आर्थिक दण्ड का विधान रखते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति को उलझनों में डाल देते हैं, जिससे भविष्य अन्धकारमय बनता है। दण्ड का कोई भी विधान निर्धारित करने से पहले हमें उस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जितने भी कन्ट्राक्टर्स हैं जो एग्रीमेन्ट में लिखी शर्तों का उल्लंघन करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं और जंगलों को काटते हैं, उनको कड़े से कड़ा दण्ड मिलना चाहिये, इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये ऐसे व्यक्तियों को जहां तक दण्ड देने का सवाल है उसके लिये विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी होगी जिससे ग़रीब लोगों पर सज़ा का भार न पड़े ।

अब दूसरी बात यह है कि इस में केसेज़ के कम्पाउन्ड करने की व्यवस्था रखी है। पहले जिस प्रकार की व्यवस्था थी कम्पाउन्ड

(श्री भैरोंसिंह)

करने की, वह कुछ विशेष श्रेणी के अधिकारियों तक ही सीमित थी। जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि जिन अधिकारियों को सौ रुपये से अधिक वेतन मिलता वे केसेज़ को कम्पाउन्ड कर सकते हैं। फ़ोरेस्ट विभाग में जितने भी सौ रुपये तक वेतन पाने वाले अधिकारी हैं, व थोड़ी बहुत अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते होंगे। इस बिल के 'स्टेटमेन्ट ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स' को देखें तो हमें पता चलता है कि भावों में वृद्धि के कारण, सज़ा में वृद्धि करने की व्यवस्था की मांग की है। जहां पहले एक विशेष श्रेणी के अधिकारियों को केसेज़ कम्पाउन्ड करने के अधिकार दिये थे अब इसमें हर श्रेणी के अधिकारियों को ये अधिकार देने की व्यवस्था कर रहे हैं। राज्य सरकार की इस प्रकार की भावना है कि सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले जितने भी अधिकारी हैं, उनको भी केसेज़ को कम्पाउन्ड करना चाहिये और कर सकते हैं। उस अधिकारी से लेकर चीफ़ कन्ज़र्वेटर ऑफ़ फ़ोरेस्ट्स तक, हमने इस प्रकार से कम्पाउन्ड करने की जो सीमा थी, उसमें वृद्धि की है। ५०) की क़ीमत से बढ़कर २,०००) तक की क़ीमत तक आगये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि इस कम्पाउन्ड करने की पद्धति की बुनियाद क्या है?

इसकी बुनियाद को अच्छी तरह देखें तो यह बुनियाद किसी भी रूप से न्यायसंगत नहीं हो सकती। जिस वक्त यह कम्पाउन्ड करने की पद्धति अपनाई गई थी, उस वक्त कोर्टों की कमी थी, लोग भी ज्युडीशियल कोर्ट में पहुंच नहीं सकते थे जहां ऐसे कोर्ट थे, और वहां फिर उस समय की सरकारों की ज्यादतियों को वे लोग चेलैन्ज नहीं कर सकते थे। हाई कोर्ट में आज की तरह अपने अधिकारों के लिये रिट नहीं दायर कर सकते थे। वह राजाओं के राज्य का समय था। ज्यादतियां काफी होती थीं। उस वक्त यह पद्धति चली थी। और इसका इतिहास यह है कि जो व्यक्ति कानूनी ढंग से सजायाब नहीं हो सके, कानून के दायरे में न आता हो, कानून के दायरे से बच सके ऐसे व्यक्ति को किसी तरह से दंडित किया जावे उसके लिये यह व्यवस्था थी। इसमें लोगों को उस समय धमकाया जाता था, डराया जाता था। हमारे एक्साइज विभाग में, ऐसा अनुभव हमारे सामने आया है कि एक्साइज में जहां ठेकेदार का मामला आता है, स्मगलिंग का मामला आता है, ओपीयम का मामला आता है या ऐसा ही कोई मामला आता है उस समय जितने भी कस्टम अधिकारी हैं, वे केसों को कम्पाउन्ड करने की चेष्टा करेंगे, जिनमें कानूनी खामी है और उस व्यक्ति को सजा नहीं दिला सकते, उसमें कम्पाउन्ड करने की चेष्टा करेंगे। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कम्पाउन्ड करने वाले मुद्दों का विश्लेषण किया। मैं उनको फिर से दोहराना नहीं चाहता। पर इन परिस्थितियों में हमें यह देखना पडेगा कि हम कम्पाउण्ड किनके दरमियान में करा रहे हैं। सरकार और मुजरिम के बीच में, सरकार के बीच में और चोरों के बीच में कम्पाउन्ड करा रहे हैं। जिसके आधार पर मैं तो समझता हूं कि यदि नैतिकता की दृष्टि से भी देखा जाय तो चोरों से, गलतियां करने वालों से, अपराध करने वालों से, सरकार के कानून तोड़ने वालों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहिये। हमारे सामने आज न्याय करने वाली अदालतें मौजूद हैं। ज्युडीशियल कोर्ट मौजूद हैं, किसका क्या कसूर है, कितना कसूर है, किसको कितनी सजा देनी है, क्या करना है, किस हद तक किस को कितना शारीरिक और आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है, इसका निर्णय कम्पाउन्ड करने से नहीं, एग्जीक्यूटिव आफिसरों के द्वारा तय नहीं किया जा सकता। इनका निर्णय उनसे कराना न्याय की दृष्टि से उचित नहीं होगा। उचित तो यह होगा कि उसे न्यायालय में खड़ा किया जावे, सरकार अपना केस रक्खे, अपराधी को अपना डिफेन्स करने का मौका मिले और फिर उस केस को ज्युडीशियल आफिसर न्याय की दृष्टि से देखें और किसको कितना दंड कैसा दण्ड देना है, इसका न्याय की दृष्टि से निर्णय करें।

ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, यह कम्पाउन्ड करने की पद्धति जो आज भी प्रचलित रक्खी जा रही है न्याय की दृष्टि से, ज्युडीशियल पाइन्ट आफ व्यू से अनुचित ही नहीं है बल्कि एक प्रकार का रिट्रोगेटरी

(श्री भैरोंसिंह)

स्टैप है जिसका हमें निश्चित रूप से विरोध करना पड़ेगा ।

जब तक इसके लिये ५०) की मियाद रक्खी थी तब तक तो यह भी समझा जा सकता था कि इतने छोटे अमाउन्ट के लिये कोर्टों में जाने से सभी को तवालत होगी और इसमें कोई हर्ज भी नहीं कि इस तवालत को रोकने के लिये और जल्दी फैसला कर देने की दृष्टि से यह तरीका अपनाया जाय । और ऐसे मामलों में कम्पाउन्ड कर लिया जावे । तो यह जबर्दस्त तवालत को रोकने के लिहाज से ऐसे माइनर मामलों में अच्छा तरीका हो सकता है । पर यह बात माइनर मामलों में समझ में आ सकती है । जहां मेजर मामले हों, जहां दो हजार के जुर्माने की तवजीज की गई हो वहां फिर वह माइनर ओफेन्स नहीं रह जाता, वह तो फोरेस्ट का मेजर ओफेन्स है इसके लिये कम्पाउन्ड किया जाना किसी तरीके से भी उचित नहीं कहा जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें दो चीजें आती हैं । एक आती है कि सरकार जान बूझ कर कम्पाउन्ड कराना चाहे और दूसरी चीज आती है कि ठेकेदार या इस प्रकार की गलती करने वाला व्यक्ति यह कोशिश करे कि केस को कम्पाउन्ड कराया जावे । तो सरकार का दृष्टिकोण जहां यह रहे कि इसमें कम्पाउन्ड करना है तो वहां हम यह मान कर चलते हैं कि शायद सरकारी अधिकारियों का इन्टेन्शन इतना मैलाफाइडी नहीं होगा, इतना सस्पेक्टिव इन्टेन्शन नहीं होगा कि वे कुछ गोलमाल करना चाहते हों । पर जहां कसूरवार कम्पाउन्ड करने की कोशिश करें और अपनी कोशिश में सरकारी अधिकारियों को कुछ ले दे कर रिश्वत खिला कर इस तरह से मोड़ने की कोशिश करे कि वह उसे कम्पाउन्ड कराने को राजी हो जाय तो ऐसी सूरत में निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति पर ज्यादा दण्ड होने की सम्भावना हो, वही यह कोशिश करेगा कि समझौता कर लिया जावे और इस बात के लिये कर लिया जावे कि कुछ कम सजा मिलेगी और कोर्ट में अगर गये तो ज्यादा सजा मिलेगी ।

इसमें ज्यादा सजा का प्रावधान भी है और यह अधिकार कोर्ट को दिया है । तो ऐसी स्थिति में वह कसूरवार यह कोशिश करेगा कि रिश्वत देकर किसी तरह से केस को कम्पाउन्ड कराया जावे और यह विभाग, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिये, कि जिस तरह से पी. डब्ल्यु. डी., पुलिस या अन्य ऐसा ही विभाग है जो रिश्वतों के लिये मशहूर है, जो विभाग अव्यवस्था और धांधलीबाजी के लिये मशहूर है, उन्हीं विभागों की तरह यह विभाग भी आज तरक्की करके उनकी श्रेणी में पहुंच गया है.। मैं इस तरक्की के लिये अध्यक्ष महोदय, वन मन्त्री महोदय को निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा और यह धन्यवाद दिल से नहीं मजबूरी से दिया जा रहा है कि उनके मन्त्री होने के बावजूद भी इस डिपार्टमेन्ट के जितने घोटाले हमारी राज्य सरकार के समक्ष आये हैं, जनता के समक्ष आये हैं, और निरन्तर आते जा रहे हैं उनको देख कर पता लगता है कि शायद यह डिपार्टमेन्ट अपने रिश्वतों के कारनामों में, अव्यवस्था और धांधलीबाजी के कारनामों में कम्पीटीशन में दूसरे सभी महकमों से आगे न बढ़ जावे । मैं तो चेष्टा करूंगा कि इसकी इन गतिविधियों को रोका जावे । पर सरकार की ओर से भी ऐसा प्रयास होना जरूरी है ।

इसमें अधिकार दिया है कि कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट दो हजार तक के केस कम्पाउन्ड करेगा । पर आज यह कहा जा सकता है कि इस विभाग के जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हैं, उनकी जितनी भी कार्यवाहियां होती हैं वे वाजिब नहीं हैं । यह देखा जाय कि उनकी जो कार्यवाहियां हैं वे वाजिब हैं क्या, क्या वे सन्देह की दृष्टि से नहीं देखी जा सकती ? मैं उस जंगल का जिक्र नहीं करना चाहता जिस के बारे में पुस्तकें बन गई हैं । मैं उस मशहूर पानरवा काण्ड का जिक्र छोड़ दूंगा । जिस के बारे में हमारे वित्त मंत्री महोदय हर बार हर प्रकार का उत्तर देकर टालने की कोशिशें करते रहे हैं । उनके हाथ में सत्ता है, अधिकार है । वे भले ही जनता की भावनाओं को एप्रीसियेट न करें । पर जब तक न्याय की दृष्टि से, कोई एन्क्वायरी होकर इस

(श्री भैरोंसिंह)

काण्ड में गलती करने वालों को कठोर दण्ड नहीं मिलेगा, तब तक जनता की भावनाएं इन टालटोल करने के उत्तरों से दबेंगी नहीं, तब तक इस सदन में भी चर्चाएं होती रहेंगी, बाहर भी होती रहेंगी और यह हमारी राज्य सरकार के मस्तिष्क पर एक प्रकार का कलंक भी बना रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं मान कर चलता हूं कि यदि चीफ कन्जर्वेटर आफ फोरेस्ट के कारनामों के बारे में भी किसी प्रकार की कोई शंका करने की गुंजाइश न हो तो भी विश्वास करके चला जा सकता है कि इस कम्पाउण्ड की व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं होगा, पर हमारे यहां भी जिस तरह और महकमों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, पक्षपात और व्यक्ति परस्ती के शैल्स बने हुए हैं, वैसे शैल्स यहां भी बनने लगे हैं। इन मामलों में चीफ कन्जर्वेटर आफ फोरेस्ट का चरित्र भी सन्देह से परे नहीं है, यह मैं कह सकता हूं। इस विभाग में भी ठेकेदारों ने अपने शैल्स बना लिये हैं जिनके मार्फत ही जंगलों का ठेका अगर किसी को मिलना है तो वह मिलेगा, उनके मार्फत ही लकड़ी बेचने का काम होगा, उनके मार्फत ही कोयले बेचने का काम होगा, जो काम होगा, वह उनके मार्फत ही होगा। माननीय अध्यक्ष मैं उनमें से एक ठेकेदार का नाम भी लेता हूं। वह है वनयानसिंह कोटा का। कोटा का वह रहने वाला है। कोटा और झालावाड़ के जंगलों के ठेके उच्च अधिकारियों ने उसके मार्फत दिये और चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट अगर किसी प्रकार का कोई भी ठेका देगा तो उससे मिल कर ठेका दिया जावेगा, पहले उसकी स्वीकृति प्राप्त की जावेगी। शायद वन मंत्री की स्वीकृति की जरूरत नहीं समझी जायगी पर उस ठेकेदार की स्वीकृति जरूर ली जावेगी और तभी कोई प्रकार का फोरेस्ट नीलाम होगा। सन् ५६-५७ में कोटा डिविजन के दयावराज सगवाड़ा बावड़ी आदि के ठेके, उन जंगलों को काटने के ठेके, उसे दिये गये। जो एग्रीमेन्ट हुए, उसके साथ हुए। और मजा यह कि उन एग्रीमेन्टों की अवहेलना की उस बनयानसिंह ने, पग पग पर की और सरकार का यह विभाग उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की हिम्मत आज दिन तक नहीं कर सका। अगर हिम्मत है उनकी तो, सदन में वे इसका जवाब दें। जिस जंगल की लकड़ी काट कर बेचने की बात थी उस जंगल का कोयला बना कर बेचा गया। जो काट कर गांवों में लकड़ी बेचने की बात थी उसे गैर इलाके में ज्यादा कीमत पर बेचा गया। पर आज तक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही यह विभाग करने की हिम्मत नहीं कर सका। झालावाड़ के जंगलों के ठेकों में भी ऐसी ही अनियमितताऐं हुई थीं। वे गत वर्ष इलेक्शन के टाइम में ठेके हुए थे। वहां कांग्रेस पार्टी के दो दल थे और उनके आपसी मतभेदों के कारण वह मामला दिल्ली तक पहुंचा। उसमें ढेबर भाई को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसकी सारी डिटेल यहां सदन में लाई जावे तो यह अच्छा नहीं होगा। पर सौभाग्य से उस हस्तक्षेप के कारण पचास हजार का जो नुकसान राजस्थान सरकार को होने वाला था, वह बच गया। पर आज यह भी सम्भव नहीं कि हर मामले को ढेबर भाई तक पहुंचाया जावे, दिल्ली के दरवाजे खटखटाये जावें और विधान सभा में लाया जावे। प्रश्न यह आता है कि जिस विभाग की ऐसी परिस्थिति हो तो हमें सोचना होगा कि क्या किया जाय? आज तो यह आवश्यक हो गया है कि इन कारनामों को देखते हुए हमें चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट तक की निगरानी रक्खी जाने की मांग करनी होगी, इनके कारनामों की निगरानी रखने की कार्यवाही करनी होगी और जिस व्यक्ति की निगरानी की कार्यवाही हमें करनी पडे उसको यह अधिकार देना कि वह दो हजार तक के केस कम्पाउन्ड करे यह कहां तक वाजिब होगा? यह सदन के सोचने की बात है।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इस सदन में एक बार नहीं, अनेकों बार आया है कि इस आजकी सरकार की गतिविधियों को देख कर, आज के इन विभाग के अधिकारियों के ये कारनामें देख कर, जहां पर कि पोलिटिकल पाइन्ट आफ व्यू से सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता हो वहां एग्जीक्यूटिव का और ज्युडीशियरी का फंक्शन अलग होना चाहिये। आज से करीब तीन वर्ष पहले तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री जयनारायण जीव्यास ने इस सदन में एक

Page No.32

(श्री भैरोंसिंह)

कैटेगोरीकल आश्वासन दिया था कि आगे के दो वर्षों में ज्युडीशियरी और एग्जीक्यूटिव लाइनें दो अलग अलग हो जावेंगी। प्रतीक्षा कर रहे थे कि दो वर्ष पूरे हों और ये दो लाइनें अलग अलग बनें, पर इसके कुछ दिनों के बाद नये मुख्य मंत्री बने उन्होंने भी कैटेगरीकली तो नहीं पर थोड़ा सा ऐसा ही आश्वासन दिया था कि सरकार प्रयत्न कर रही है कि ज्युडीशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया जाय। पर अभी जब यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ तो मुझे ताज्जुब हुआ कि एक तरफ तो आश्वासन देते हैं कि दोनों अलग अलग करेंगे और दूसरी तरफ जो ज्युडीशियरी के पॉवर हैं वे एग्जीक्यूटिव आफिसरों को दिये जा रहे हैं और जो फंक्शन्स ज्युडीशियरी द्वारा कराये जाने चाहियें वे एग्जीक्यूटिव आफिसरों द्वारा कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसा लगता है इससे कि या तो सरकार ने वह अलग अलग करने का प्रिन्सिपल वापिस ले लिया है या फिर अपने वचनों से वे बैक आउट होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें यह भी निवेदन करना पड़ेगा कि एग्जीक्युटिव और ज्युडशियरी को अलग अलग करने के दृष्टिकोण से जो कम्पाउन्ड कराने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर हम एग्जीक्यूटिव आफिसर्स को दो हजार तक के केसेज को डिसपोज ग्रॉफ करने की पावर्स दे रहे हैं यह अनुचित होगा। जब प्रश्न पूछा जायेगा तो हमारे माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे कि केसेज के बारे में, हम जल्दी से जल्दी उनको डिसपोज ग्रॉफ करना चाहते हैं। अब यह समस्या है कि कोर्ट्स में केसेज जाने के बाद उनका कई दिन तक निपटारा नहीं होता है और उनमें एक प्रकार की शिथिलता सी आती है। अब कोर्ट्स में केसेज में शिथिलता आने का कसूर किस का है? वह कसूर विधान सभा का नहीं है, वह कसूर उन चीजों के ऊपर कन्ट्रोल करने वालों का है। अगर कोर्ट के काम करने में देरी या शिथिलता आती है तो उसको दूर करने की चेष्टा करें या अपनी कमजोरियों से जो शिथिलता आती है, उसके कारण हमारे जो मूलभूत सिद्धान्त हैं, उन पर किसी प्रकार से कुठाराघात नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि पहले के विधेयक में भी जो पचास रुपये तक के केसेज को कम्पाउन्ड कराने की व्यवस्था है हमारी राज्य सरकार उसकी भी वापिस ले और हर व्यक्ति को यह अधिकार दे कि ज्युडीशियल कोर्ट्स में जाकर अपने केसेज रखें। अब एक सवाल आयेगा कि सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं आता फिर भी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो कम्पाउन्ड कराये। मैं उस चीज को नहीं दोहराना चाहता हूं लेकिन फिर भी एक दृष्टिकोण से कहूंगा कि जो लोग वालेन्टेरीली केसेज कम्पाउन्ड कराने के लिये आगे आते हैं तो वह स्वेच्छा से आते हैं। लेकिन वह किस मजबूरी से आते हैं। या तो उनकी मजबूरी होती है। और वह यह कि अगर कोर्ट में गये तो ज्यादा जुर्माना होगा या फिर दूसरी मजबूरी यह हो सकती है कि सरकारी अधिकारी उनको दबाते हैं। अगर इन केसेज में कम्पाउन्ड कराया जाता है तो किसी प्रकार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि न्याय हो सकेगा। फोरेस्ट एक्ट में फोरेस्ट प्रोड्यूज की डेफीनेशन को देखें, तो छोटी से छोटी चीज जो फोरेस्ट के अन्दर उत्पन्न होती है या जो फोरेस्ट से मिलती है, वह सारी चीजें फोरेस्ट प्रोड्यूज में शामिल हैं। इस सदन में कल से चर्चा हो रही है, माननीय अध्यक्ष, मैं आपको बताऊं कि सीकर जिले में कई स्थान ऐसे हैं और मेरी कान्सटीटुएन्सी में खंडेला ऐसी जगह है जहां यदि गांव के लोगों को मवेशी चराने के लिए यदि कोई स्थान मिलता था, तो वह था खंडेला के पहाड़। लेकिन खंडेला के पहाड़ को भी फोरेस्ट एरिया में ले लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज खंडेला में ऐसी स्थिति बन गई है कि वहां मवेशियों को चराने के लिए कोई जगह नहीं है और वहां पर लकड़ी का इतना अभाव है कि अगर किसी की मौत हो जाये तो उसको जलाने के लिये भी लकड़ी नहीं मिल सकती। जिस राज्य में मवेशियों के चराने के लिए जगह नहीं हो या अगर किसी आदमी की मौत हो जाये और उसको जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं मिल सकें तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इस प्रकार के फोरेस्ट को रिजर्व करने से राज्य सरकार की इनकम होती हो तो वह कोई शुद्ध खजाना नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अन्दर जो इस प्रकार के छोटे छोटे आफेन्सेज होंगे, छोटे मोटे आफेन्सेज होंगे उन आफेन्सेज

Page No.33

(श्री भैरोंसिंह)

के पीछे भी उनके बैकग्राउन्ड को देखना पड़ेगा कि यह आफन्सेज किस प्रकार से रुक सकते हैं। मैं समझता हूं कि जहां लोग जंगल से लकडी लाकर अपना जीवन का काम चलाते हैं या खेतों में हड्डी या सींग या इस प्रकार का चमड़ा जानवरों का इकट्ठा करके जीवन निर्वाह करते हैं, इस प्रकार की छोटी मोटी चीजों को फोरेस्ट प्राड्यूज से निकाल देना चाहिए और उन लोगों को जिनके लिए इसके अलावा दूसरा धंधा नहीं है उनको रियायत देनी चाहिए और अगर आप रियायत नहीं देते हैं तो इस प्रकार की सख्ती नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सीकर में रघुनाथगढ़ एक जगह है और वहां पर सिकराय का पहाड और रघुनाथगढ़ का पहाड है जिसमें गूजरों की ढाणी बनी हुई है उसको भी फोरेस्ट में ले लिया है। अब आप ही विचार करें, माननीय अध्यक्ष महोदय कि अगर कोई आदमी चलेगा तो उसने फोरेस्ट एक्ट का आफेन्स किया है। अगर किसी मवेशी ने किसी पेड़ पर मुंह लगा दिया तो उसने फोरेस्ट एक्ट का आफेन्स किया है। यह इस प्रकार की चीज है जो सरकार के सामने नहीं आती है। लेकिन जो फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के अधिकारी हैं यह उनके पेट भरने की व्यवस्था है और रात दिन जिस प्रकार से इस डिपार्टमेन्ट में पैदा होती है उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा और इस बिल की भावना को एप्रीशियेट करते हुए, माननीय मंत्री को चाहिये कि वह इस बिल को तुरन्त वापिस ले लें और अगर वह वापिस नही लेते हैं तो इस सारे बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दें तो अच्छा रहेगा ताकि इस पर सुन्दरता से विचार भी किया जा सके।

श्री अर्जुनदास : On a point of Order, Sir. Forest Minister and Deputy Minister both are absent.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : But I am here.

श्री अध्यक्ष :–He is (pointing out at Shri Ram Kishore Vyas) on his (Forest Minister's) behalf.

श्री अर्जुनदास : My objection has turned out to be correct.

श्री अध्यक्ष :–It is not necessary for him to reply. He is on his behalf.

आप (श्री रामकिशोर व्यास की ओर संकेत) जवाब देंगे?

(श्री रामकिशोर व्यास द्वारा वन मंत्री को बुलाने जाने पर)

श्री अर्जुनदास : (अश्रव्य) और किसी किसी को बुला लो अभी।

श्री भैरोंसिंह : हाउस को एडजार्न कर दिया जाये।

श्री चन्दनमल वैद : ज्यादा नहीं, तो दस मिनट के लिए ही कर दो।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय जो फोरेस्ट (संशोधन) बिल प्रस्तुत किया गया है और उसके लिए जो प्रवर समिति को भेजे जाने के लिए विचार चल रहा है मैं भी इस संबंध में जो प्रवर समिति को इसे भेजे जाने का विचार है उससे सहमत हूं। फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का जहां तक संबंध है उसमें वास्तव में डिमारकेशन के प्रश्न पर भूमि की उपज के संबंध में उसके मेनेजमेन्ट के संबंध में कई तरह की गड़बड़ियां हैं। जो डिमार्केशन लाइन फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की ओर से की जाती है वह इस अंधाधुंधी से की जाती है कि कहीं मकान के सामने आ गई है, कहीं मकान के पास से लाइन दी है, उसमें से दूसरों की सुविधा का, मवेशियों के आने जाने का कोई ध्यान नहीं रखा है। अनापशनाप तरीके से डिमार्केशन कर दिया जाता है। जहां तक उसकी उपज का संबंध है यदि कोई अनधिकृत जंगल की भूमि ले लेता है तो उस संबंध में कोई देखरेख करने वाला नहीं है, कोई उस संबंध में मुकद्दमा चलाने वाला या उसकी पैरवी करने वाला

(श्री तेजमल बापना)

नहीं और इस संबंध में शिथिलता वन विभाग की ओर से बरती जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाहता हूं जो वास्तव में एक वाकया है। भीलवाड़ा जिले की कोटडी तहसील में एक पारोली का बोड़ है, उसमें से कुछ जमीन तो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को दे दी गई है। ४६२ बीघा तो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को एक हजार बीघा में से छः सौ बीघा आज भी फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के पास है और वह हर साल फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की ओर से नीलाम किया जाता है। लेकिन इस साल मालूम हुआ है कि उस पारोली बीड का नीलाम नहीं हो सका है और उसको किसी तीसरे ही व्यक्ति श्री यशपाल अनंगलाल शुक्ला, निवासी जयपुर ने अपने कब्जे में कर रखा है। क्यों वह बीड नीलाम नहीं हुआ है और क्यों यह अनधिकृत तौर पर उस आदमी के कब्जे में है और क्यों इस संबंध में कार्यवाही नहीं की जाती है यह बहुत ही शिथिलता का प्रश्न है कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट अपनी उपज का, अपनी आमदनी का, अपनी जमीन का और जो डिमारकेशन हुआ ह उस संबंध में कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। जो नया संशोधन दो, तीन दफाओं में किया जाता है तो क्या वास्तव में फोरेस्ट के चीफ कन्जर्वेटर तथा अन्य आफिसरों को जो कम्पाउन्डिग के अधिकार दिये जाते हैं तो वास्तव में क्या उनका दुरुपयोग नहीं होगा यह थोड़ी शंका का विषय है। कीमतें वास्तव में कुछ बढ़ी हैं लकड़ी की, लेकिन किस हद तक वे बढ़ी हैं, जो संशोधन इस बिल के साथ प्रस्तुत किया गया है, वे वास्तव में उस मिकदार से मिलती है या नहीं, ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जिससे यह बिल जो है उसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जिससे कुछ सुझाव जो कुछ सदस्यों की ओर से आये हैं उन पर काफी चर्चा होकर, उन पर काफी विचार विमर्श होकर सही तरह का जो हो वह एमेंडमेंट किया जा सके। मैं अपने यही विचार प्रकट करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (वन मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के सिलसिले मे इस सदन में चर्चा हुई और जो माननीय सदस्यों ने दलीलें दीं, उनको बड़े गौर से सुना। इस बिल को लाने के लिये . . .

एक माननीय सदस्य: आप थे ही नहीं, क्या सुना?

श्री नाथूराम मिर्धा: . . . जो मन्शा थी, माननीय अध्यक्ष, मुझे यह कहते हुए थोड़ा दुःख होता है कि माननीय सदस्यों ने इसको सही मायने में नहीं समझा है। इस में ५०० के बजाय २०००) रु० जुर्माना करने की व्यवस्था के लिये अधिकार देने की बात थी। वह अधिकार अगर हम मेन (Main) एक्ट में साफ़तौर से देखें तो धारा २६ रिज़र्वड फ़ोरेस्ट्स के लिये है, और रिज़र्व्ड फ़ोरेस्ट में आज भी गवर्नमेंन्ट का पूरा अधिकार है। उन फ़ोरेस्टस में सिर्फ़ हम अपने वर्किंग प्लान के अनुसार कूप बनाते हैं और उन कूप की कटाई का काम नियम के अनुसार होता है। रिजर्व्ड फारेस्ट्स में चराई वगरह लोगों को एलाउड नहीं होती है। उनसे किसी प्रकार के किसी के राइट्स नहीं हैं। उनमें से आम तौर से कोई लकड़ी काट कर नहीं ला सकता है। ऐसी सूरत में रिजर्व्ड फ़ोरेस्ट्स के प्रोटेक्शन के लिये गवर्नमेंन्ट की बहुत विशेष ज़िम्मेवारी है, और उसके लिये जो ऑफ़ेन्सेज़ दिये गये हैं जिन ऑफ़ेन्सेज का धारा २६ में ज़िक्र है कि आग को जंगल में लेजा कर आग लगाने की व्यवस्था जो लोग कर सकते हैं उससे उसको बचाने के लिये जिस प्रकार की धारा है वह बहुत सख्ती के साथ रखी हुई है। सरकार का इरादा है कि रिज़र्व्ड फ़ोरेस्ट्स का प्रोटेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो। उसके साथ में कूप कटिंग का कोटा होता है। कई लोग चोरी करते हैं वे अपने कूप के अलावा दूसरे प्रकार की लकड़ी भी काट लेते हैं तो उन पर मुक़द्दमें अदालत में पेश किये जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना ५००) रु० तक कर सकते हैं। आम तौर से ऐसे जंगलात के मामले हैं जहां किसी कोर्ट में जाते हैं तो बहुत कम हालत में उनको कारपोरल पनिशमेन्ट दिया जाता है और उनको क़ायदे की सजा दी जाती हो। आम तौर से जुर्माने की सजा दी जाती है। तो जुर्माना मेग्जीमम ५०० रु० ही किया जा सकता है। उससे

Page No.35

श्री नाथूराम मिर्धा

ज्यादा कई दफ़ा जंगल कई नुक़सान कर देते हैं। चूंकि लकड़ी के भाव काफ़ी तादाद में बढ़े हैं....

श्री भानसिंह : But what it means that it includes contractors.

श्री नाथूराम मिर्धा : This is only for contractors.

इस बात का मुझे अफ़सोस है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने आम किसानों का खास तौर से आदिवासियों को लेकर जो चर्चा उठाई है। हो सकता है कि जंगल में कई प्रकार की दिक्क़तें कुछ लोगों को हो सकती हैं। उनको मिटाने के लिये न यह बिल काम करता है और न इस बिल के ज़रिये मदद मिलती है, फिर भी जिस प्रकार की चर्चा हुई है जैसा कि मैंने धारा २६ को एमेन्ड करने की बात रखी है कि रिज़र्व्ड फ़ोरेस्ट में ५००) रु० के बजाय २०००) रु० का एमेन्डमेन्ट करना चाहते हैं। उसी प्रकार से धारा ३० के अन्दर प्रोटेक्टेड फ़ोरेस्ट्स के लिये कुछ कन्डीशन्स लगाई हैं। प्रोटेक्टेड फ़ोरेस्ट्स में हम कहेंगे कि अमुक प्रकार के ट्री को कोई आदमी न काटेगा। प्रोटेक्टेड फ़ोरेस्ट्स में लोग जाते हैं, वहां पर लकड़ी काटते हैं और जानवर भी चराते हैं। उनमें कुछ अधिकार लोगों के हैं तो फिर खास तौर से कुछ बातें प्रेस्क्राइब्ड होती हैं कि अमुक प्रकार के ट्री प्रोटेक्टेड फ़ोरेस्ट्स से नहीं काटें। अमुक प्रकार की चीज नहीं की जायगी, यह सभी सारी बात धारा ३२ में वर्जित है। तो उसमें जो लिखा हुआ है उसके खिलाफ़ प्रोटेक्टेड फ़ोरेस्ट्स में करेगा तो उनको सज़ा देंगे। उसमें ५००) रु० की पेनल्टी है तो उसको अब मेक्ज़ीमम २०००) रु. करना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि २ हज़ार रुपया सब लोगों पर जुर्माना होता है। मेक्ज़ीमम इसलिये किया गया है कि राजस्थान में जो जंगल हैं उनमें ठेकेदार लोग काम करते हैं और जंगल को बरबाद करने वाले लोग खास तौर से बड़े बड़े लोग हैं जो ठेकेदारी का काम करते हैं। आम तौर से लोग आजकल जानते हैं कि ऐसे लोग आजकल जंगल में काफ़ी चोरी करते हैं। ट्रक लाकर लगा देते हैं और जंगल काट कर, उनको भर कर बाहर निकल जाते हैं। इसलिये इन लोगों से इस जंगल को बचाने के लिये यह धारा रखी है। उसके बाद में कम्पाउंडिंग के बारे में बहुत सी बातें चलीं। कम्पाउंडिंग के लिये आप प्रोवीज़न नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन आम तौर से जिन लोगों की आप वकालत करना चाहते हैं, जिन आदिवासी किसानों की वकालत करना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि ज्युडीशियल कोर्टस् होंगी तो कम्पाउंडिंग का प्रोवीज़न नहीं रखना चाहते हैं। मैं आप लोगों से नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात ऐसी नहीं है। आम लोग जो कि इस तरह से जंगलों के पास में रहते हैं उनसे अक्सर ऑफ़ेन्स हो जाता है और अनजाने में भी ऑफ़ेन्स हो जाता है, उनकी अदालतों में पेशियां चालू होती हैं, और एक एक आदमी को १०-१०, १५ पेशियां भरनी पड़ती हैं। उनको बड़ी दिक्क़त होती है, और कई दफ़ा वे कहते हैं कि ग़लती तो हो गई और किसी तरह से मुआवज़ा लेकर राजिपा करके मामले को खत्म करो। क़ानून की दिक्क़तों के मुक़ाबले पैसा देकर छुटना चाहते हैं तो अगर उनको अख्त्यारात नहीं देंगे तो कैसे कम्पाउन्ड करने का सोच सकते हैं?

श्री भैरोंसिंह : प्रोवीज़न नहीं हो तो कोर्ट में भी हो सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोर्ट के अन्दर जाने में परेशानियां कितनी होंगी, कई पेशियों पर उसको जाना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : जाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब कि गवर्नमेन्ट तैयार नहीं हो और पार्टी तैयार हो, वर्ना आने-जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा: क्योंकि जंगल के पास रहने वाले किसान लोग हैं उनसे आप पूछिये तो वे चाहते हैं कि जंगल ऑफ़िसर को ही ये छोटे छोटे मामलों, छोटी मोटी ग़लतियों

(श्री नाथूराम मिर्घा)

को किसी तरह से निबटाने का अधिकार होना चाहिये। अगर यह दफ़ा नहीं होगी, क़ानून में वह नहीं होगा तो उनको कोर्ट में जाकर पेशियां भरनी पड़ेंगी। वे चाहते हैं कि इससे अच्छा यही हो कि यहीं मामला सुलझा लो और जितना गुनाह हुआ है उसके मुताबिक़ पैसा लेलो और इस तरह से मामले को ख़त्म करदो। वे लोग चाहते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि उनकी भावना को आप ही जानते हैं। हम भी उनकी भावनाओं को जानते हैं। कई दफ़ा लोग इस जाल में फंस जाते हैं और १०, १५ दफ़ा अदालतों की पेशियां भरनी पड़ती हैं। इसलिये अगर कम्पाउन्डिंग का जो प्रोवीज़न रखते हैं तो दो हज़ार तक का वे कर सकते हैं। उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि मानले जंगल में एक दरख़्त की क़ीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मानले कि तीन महुओं की क़ीमत ५०) रू० थी और कई दफ़ा २००) रू० तक हो जाती है तो इस तरह से इस चीज़ को अब सी. सी. एफ़. कम्पाउन्ड २ हज़ार तक का कर सकता है या एनी अदर ऑफ़िसर आथोराइज्ड बाई हिम। पहले १०० तक की तनख्वाह पाने वाला ५०) रू० तक के मामलों को कम्पाउन्ड कर सकते थे, लेकिन अब सी. सी. एफ़. ५००) रू० से २ हज़ार तक के मामलों को कम्पाउन्ड कर सकता है या दूसरा ऑफ़िसर भी इस बात के लिए आथोराइज्ड किया जा सकता है। तो इसमें यह मानकर चलें कि २ हज़ार का कम्पाउन्डिंग के अख़्तियार सी सी. एफ़. को दिये हैं यह स्पेसिफ़िक लिखा है। दूसरे ऑफ़िसर का नाम जो लिखा हुआ है तो वह फ़ोरेस्ट गार्ड तो नहीं होगा या और कोई बहुत कम तनख्वाह पाने वाला आदमी होगा उन लोगों को यह अख़्तियार देना चाहते हैं। हम ज़िम्मेदार आदमी को अख़्तियार देना चाहते हैं वे सी. एफ़. और डी. एफ़. ओ. भी हो सकते हैं। उन लोगों को भी २००० से ज्यादा का अधिकार नहीं दिये है· · · ·

श्री पी० के० चौधरी:–डी. एफ़. ओ. की तनख्वाह क्या होती है?

श्री नाथूराम मिर्घा (जारी) : वह गज़ेटेड ऑफ़िसर्स होते हैं और उनका ग्रेड २५० से ७५० का है उनही के ज़रिये प्रोक्शन वग़ैरह का काम होता है, वे हमारे काफ़ी ज़िम्मेदार ऑफ़िसर हैं, उनके ज़रिये काम करना चाहते हैं। बिल की धाराएं बहुत सीधी सी हैं, इनसे किसी भी प्रकार जो आदिवासी हैं उनको कष्ट होने वाला नहीं है और न किसानों को कष्ट होने वाला है और न दूसरे लोगों को कष्ट होने वाला है। कष्ट सिर्फ़ उन लोगों को होगा जो जंगलों में जाकर चोरी करते हैं या जो रिज़र्व फ़ोरेस्ट हैं उनमें जाकर चोरी करते हैं। जो प्रोटेक्टेड फ़ोरेस्ट्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। इसलिये किसी भी प्रकार से ग्राम लोगों को कष्ट होने की बात नहीं है और न काश्तकारों को इससे डरना चाहिये। फिर भी यहां पर जो बहस की गई है उसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है। जंगल राष्ट्र की संपत्ति है और हमारे यहां के जंगल राजस्थान सरकार की संपत्ति है। राजस्थान में कुल ११ पर्सेन्ट जंगल हैं उसमें से ५ से ७ पर्सेन्ट तक जंगल ठीक हैं कहा जा सकता है बाक़ी की बहुत ही बुरी हालत है। आज़ादी आने के बाद बड़े बड़े प्रेशर जंगल पर पड़े। उनको बहुत बुरी तरह से नोचा और काटा गया और उनकी बुरी हालत की गई। मुझे बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना है कि इन जंगलों की जो हालत हुई है उसको देखते हुए इनका प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। पहले लोगों को जो छूट दी गई थी, उस समय उन लोगों का नम्बर थोड़ा था, तादाद थोड़ी थी, पोपुलेशन थोड़ी थी इसलिये उनको कुछ रियायत दी गई थीं इसलिये उन्होंने जंगलों को खा लिया और अब यदि और छूट देंगे तो ५, ७ साल तक और खा लेंगे। लेकिन इसके बाद चाहे बांसवाड़ा के पास का जंगल हो चाहे डूंगरपुर का हो, चाहे कोटा का हो, चाहे बूंदी के पास का जंगल हो उसको जाकर देखिये, पहले कितनी थिक फ़ोरेस्ट थी और आज उनकी कितनी ख़राब हालत हो गई है। यदि किसी फ़ैसले के साथ हम आगे बढ़ते जायेंगे तो परिणाम यह होगा कि आनेवाले सालों में· · · · · ·

श्री भेरूंसिंह : This is all due to mal-administration

श्री नाथूराम मिर्धा (जारी): मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जंगलों की बरबादी को रोकने के लिये आपका सहयोग मिलना चाहिये। हमने रोका है, सख्ती की है, छोटे लेवल पर रोकने की कोशिश की है।

श्री भैरूंसिंह: छोटों को अवश्य रोका है. लेकिन बड़े बड़े गफले होते जा रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (जारी): बड़े बड़े कौन से गफले हुए हैं ले देकर आप पानरवा केस के बारे में कह सकते हैं, मैं आपको निश्चित जवाब दूंगा। इसके अलावा आप एक भी जंगल बताइये जिसमें गफला हुआ है, तो मैं मानने को तैयार हूं।

श्री भैरूंसिंह: पिछले बारह महीनों में जो गड़बड़ियें हुई हैं, उनको मानने के लिये आप तैयार हैं या नहीं?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने हर प्रकार से नियमों का पालन कराने की कोशिश की है, छोटे लेवल पर जो करप्शन होता था, उसको मिटाने की कोशिश की है। जो भारियों वाले और गाड़ियों वाले लोग जंगलों में जाते थे जो तरह तरह के छोटे आफिसरों से मिल जाते थे और इस तरह से करप्शन प्रिवेलेन्ट था, उसको रोकने की कोशिश की है और रोका है। गाड़ियों का परमिट देने की और लकड़ियों को काटने की जो प्रथा थी उसको कैसे रोका जाय इसका प्रयत्न किया है, यह कोशिश की है कि कूप्स बनाकर अलॉट कर दें या कोआपरेटिव सोसाइटीज या पंचायत इनको लेना चाहे तो उनको दे दें।

श्री श्रोभानसिंह: गवर्नमेन्ट के पास लोगिंग टेक्नेलोजिस्ट हैं क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा: जितने भी वेल्यूएबल ट्रीज हैं, उनके लोगिंग के बारे में सभी लोगिंग टेकनीकल आफिसर जानते हैं।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से इस बिल को यहां ट्रीट किया जा रहा है और जो विचार यहां व्यक्त किये गये हैं, मेरी भावना उनके साथ मेल नहीं खाती है। मैं चाहता हूं कि आम जंगलों की हालत ठीक हो। यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये और वहां देखना चाहिये तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है (करतल-ध्वनि) चाहे इस सेशन में पास करें या उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यहां जिस प्रकार की बहस हुई और जिस प्रकार का वातावरण बना उसका मुझ पर असर नहीं पड़ा है। आपने गलत बात पकड़ी है।

श्री श्रोभानसिंह: हमने सही बात पकड़ी है, गलत नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा: यह मेरा कन्फेशन है मैंने लोगों की भावना की कद्र की है, लेकिन यहां पर जो वातावरण बना है उसका दिल पर दूसरा ही असर पड़ा है, गलत वातावरण बनाया है, उसका मुझ पर दूसरा ही असर हुआ है।

श्री भैरूंसिंह: आपसे, व्यक्तिगत से मतलब नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा: व्यक्तिगत का सवाल नहीं है। सरकार के मंत्री के नाते आपकी बातों का असर नहीं हुआ। आपके आर्ग्युमेन्ट्स का मुझ पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा।

श्री अध्यक्ष: सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नामों की लिस्ट बाद में बतादी जायगी।

प्रश्न यह है कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राजस्थान पशु-रोग विधेयक, १९५८

(प्रवर समिति को)

श्री अध्यक्ष: राजस्थान एनिमल डिजिजेज बिल।

श्री श्रीभानसिंह: इसका मोशन तो रख दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एनिमल डिजिजेज बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री पी. के. चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एनिमल डिजिजेज बिल को सिलेक्ट कमेटी को दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा: इसको भी सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: इसकी लिस्ट भी बाद में बतला दी जायगी। प्रश्न यह है कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पशुधन सुधार विधेयक, १९५८

(प्रवर समिति को)

श्री नाथूराम मिर्धा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लाइव स्टोक इम्प्रूवमेन्ट बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री तर्नसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा: अध्यक्ष महोदय, इसको भी सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

रावराजा श्री सरदारसिंह: आज बहुत उदारता बरती जा रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा: सदन कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है तो मुझे क्या ऐतराज है?

श्री भैरूंसिह: अध्यक्ष महोदय, यह पूरे हाउस की इन्सल्ट है कि सदन कार्यवाही नहीं करना चाहता है।

श्री अध्यक्ष: इसकी लिस्ट भी बाद में बताई जायगी।

क्या इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी सदन स्थगित होने से पहले आनी चाहिये? प्रश्न यह है कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा: इससे पहले की आवश्यकता नहीं है। बाद में दी जाय।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७

(विचार-विमर्श स्थगित)

श्री अध्यक्ष: क्लाज बाई क्लाज कंसीड्रेशन आफ राजस्थान म्युनिसिपल बिल।

श्री भैरूंसिह: अध्यक्ष महोदय, इस म्युनिसिपल बिल को आज लेने से एक असुविधा सदस्यों के सामने आ गई है और वह यह है कि आज सभी सदस्य ऐसा विचार करके आये थे कि दो बिल्स सामने हैं, उन्हीं पर विचार किया जायगा। इसलिये मैं समझता हूं सदन का कोई सदस्य और स्वयं मंत्रीजी भी तैयार होकर नहीं आये हैं। आज बहस होगी और इस पर विचार किया जायगा तो जिन क्लाजेज पर ठीक ढंग से विचार करना चाहते हैं उनके बारे में ठीक ढंग से विचार नहीं हो सकेगा। आज ३ बिल निकल गये हैं, इस खुशी में आज हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय या और कोई बिजनेस ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष: (अश्रव्य)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आज शाम को अनओफिशियली एक मीटिंग बुलाई गई है म्युनिसिपल बिल पर विचार करने के बारे में। २० सदस्य इकट्ठे होकर उस पर विचार करेंगे और हो सकता है कि कोई सोल्युशन निकल जाय। आज शाम को ७॥ बजे गवर्नमेन्ट होस्टल में मीटिंग बुलाई है। हो सकता है, बहस और वाद-विवाद की ज्यादा आवयकता नहीं पड़े।

श्री अध्यक्ष: यदि आप आश्वासन देते हैं कि मीटिंग के बाद ज्यादा वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं होगी तो एडजोर्न किया जा सकता है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : हमने कई अमेन्डमेन्टस दिये हैं, उनकी कापियें यह सोच कर नहीं लाये हैं कि आज इस पर विचार नहीं होगा। स्वयं मंत्रीजी भी आज तैयार नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल दिनांक ११ अप्रेल के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० पू० १० बजे कल दिनांक ११ अप्रेल, १९५८ के ८ बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

बृहस्पतिवार, १० अप्रेल, १९५८

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बोर्ड, जयपुर द्वारा ग्राम सांमरिया में सार्वजनिक हितोपयोगी कार्यों के लिय दी गई रकम

चारा उत्पादन, सवाई माधोपुर

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

लेखक ग्राम पंचायत

जयपुर-टोंक, रोड

बिजली की दरें

रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन्स

भूतपूर्व राज्यों के भवन

पशु चिकित्सालय

पुलिस अधिकारियों द्वारा तस्कर (स्वर्ण) व्यापार में दिये गये सहयोग संबन्धी मामलें

नगरपालिकायें-कोटा व बारां

मनोहरथाना-चांचोड़ा रोड (झालावाड़)

डाइरेक्टर, लोकल बोडीज द्वारा नगरपालिकाओं का निरीक्षण

पुल निर्माण

बनाड बांध (जोधपुर)

बीड़ हटाने का ठेका--हनुमानगढ़

लघु सिंचाई योजना

शिवरात्रि मेला, मनोहरथाना (झालावाड़)

कालख बांध

गैर सरकारी कम्पाउन्डर, ग्राम तायेड़, तहसील लाडपुरा के चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों पर प्रतिबन्ध

सिंचाई हेतु तालाब का निर्माण ग्राम नोहती, तहसील दीगोद

जयपुर में चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था

गोवटा बांध-भीलवाड़ा

बांसवाडा में बम्परी से पशुओं की मत्यु

चम्बल बांध की नहरों के लिये ली गई जमीन का मुआवजा

पुलिस थाना, बीकानेर में हुई इन्द्र चन्द सुनार नामक व्यक्ति की मृत्यु ।

बांसवाड़ा में पुलिस कर्मचारियों द्वारा महिलाओं के साथ किया गया व्यभिचार ।

तहसील पंचायत राजगढ़ (चूरू)

सदन से अनुपस्थिति रहने की अनुमति

श्री भोगीलाल पंड्या, सदस्य विधान सभा, को दिनांक ९-४-५८ से १६-४-५८ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

१. राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५८

(अग्रेतर विचार विमर्श एवं प्रवर समिति को)

कल दिनांक ९ अप्रेल, १९५८ को श्री नाथूराम मिर्धा, मन्त्री, वन विभाग, ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था और जिस पर श्री जगदीश प्रसाद माथुर द्वारा विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्तुत किया गया था उस पर आज भी विचार जारी रहा। मन्त्री, वन विभाग के उत्तर के पश्चात् विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया।

२. राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८

(प्रवर समिति को)

३. राजस्थान पशु धन सुधार विधेयक, १९५७

(विचार विमर्श एवं स्थगित)

शुक्रवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९५८ की कार्य सूची

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२५९ का उत्तर देखिये)

बीकानेर डिविजन को रजिस्टड ट्रेड यूनियनों के नाम

क्र.सं.	नाम	रजिस्ट्रेशन संख्या
१.	बीकानेर प्रेस एम्प्लाइज़ यूनियन, बीकानेर ..	३०।५१
२.	पलाना कालरी मजदूर यूनियन, पलाना ..	३२।५१
३.	पावर हाउस लेक यूनियन, श्रीगंगानगर ,	८४।५४
४.	श्री सादुल टैक्सटाइल लेबर यूनियन, श्रीगंगानगर	६४।५४
५.	पावर हाउस राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस श्रीगंगानगर	१४७।५५
६.	नगर पालिका हरिजन कर्मचारी यूनियन, श्रीगंगानगर ..	१५५।५५
७.	फ़ोर्थ क्लास एम्प्लाइज़ यूनियन, श्री सादुल टैक्सटाइल्स लि० श्रीगंगानगर	३।५६
८.	गंगानगर डिस्टीलरी राष्ट्रीय व मज़दूर कांग्रेस, श्री गंगानगर ..	१७।५६
९.	श्यूगरमिल राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस, श्रीगंगानगर	१८।५६
१०.	रिक्शा चालक राष्ट्रीय मज़दूर संघ, श्रीगंगानगर	५२।५६
११.	बीकानेर डिविज़न पी. डब्लू. डी. मज़दूर यूनियन ..	२।५७
१२.	कोटा ट्रान्सपोर्ट राष्ट्रीय संघ शक्कर मन्डी, श्रीगंगानगर ..	१७।५७
१३.	डिस्ट्रिक्ट गंगानगर पब्लिक कैरियर ट्रक यूनियन, श्रीगंगानगर	२०।५७
१४.	राजस्थान व्यवसायिक कर्मचारी संघ बीकानेर	२८।५७
१५.	कात्यबान यूनियन बीकानेर	३४।५७
१६.	गार्डन लेबर यूनियन बीकानेर	३७।५७
१७.	श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एम्प्लाइज़ यूनियन श्रीगंगानगर ..	५३।५७
१८.	मूंदड़ा मैटल वर्क्स यूनियन, बीकानेर ..	६३।५७
१९.	बीकानेर म्यूनिसिपल कर्मचारी संघ बीकानेर	६।५८

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२७० का उत्तर देखिये)

(अ) १. जनवरी से दिसम्बर १९५७ के पूरे वर्ष में डाईरेक्टर लोकल बाडीज निम्न नगरपालिकाओं का निरीक्षण किया है वह निरीक्षण रिपोर्ट्स लिखी है :—

१. बीकानेर, २. गंगानगर, ३. हिन्दुमलकोट, ४. झालरापाटन, ५. निवाई, ६. राजगढ़, ७. गंगापुर, ८. सांगरिया, ९. नरायना, १०. किशनगढ़, ११. भरतपुर, १२. डीग, १३. बयाना, १४. कुम्मेर, १५. कामा, १६. नगर, १७. अलवर, १८. बैराठ, १९. सूरतगढ़, २०. हनुमानगढ़, २१. सांभर, २२. चाकसू, २३. दौसा, २४. भीलवाड़ा, २५. नोहर, २६. फुलरा, २७. वैर, २८. नदबई, २९. खेड़ली, ३०. मेड़ता, ३१. झालावाड़, ३२. टोंक, ३३. वांदीकुई, ३४. शाहपुरा, ३५. भादरा, ३६. भरतपुर, ३७. गंगानगर, ३८. उदयपुर, ३९. हनुमानगढ़, ४०. सवाई माधोपुर, ४१. भवानी मन्डी, ४२. सुनेल ४३. धौलपुर।

(ब) इस वर्ष १९५७ निम्न नगरपालिकाओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अव्यवस्था व अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं :

१. भवानी मन्डी २. बूंदी ३. सुनेल ४. पिडावा ५. शाहपुरा ६. देवगढ़ ७. गंगापुर (भीलवाड़ा) ८. नरायना ९. कोटपुतली १०. टोंक ११. फतहपुर १२. लोसल १३. बगड़ १४. झुन्झुनू १५. श्री माधोपुर १६. दांता १७. सीकर १८. करौली १९. हिन्डोन २०. डीग २१ खेडली २२- सवाई-माधोपुर २३. भरतपुर २४. गंगानगर २५ सूरतगढ़ २६. सागरिया २७. हनुमानगढ २८. नोहर २९. नोखा ३०. डीडवाना ३१. लाडनू ३२. कुचामनसिटी ३३. चूरू ३४. रतनगढ़ ३५. राजगढ़ (बीकानेर) ३६. छापर ३७. नागौर ।

निम्न नगरपालिकाओं के विरुद्ध शिकायत हुई उनकी जांच हो चुकी है जांच का परिणाम उनके सामने अंकित है :

१. भवानी मन्डी अध्यक्ष को भविष्य के लिये सचेत करते हुये जवाब मांगा गया है।
२. बूंदी वोर्ड से जवाब मांगा गया है ।
३. पिडावा अध्यक्ष को भविष्य में सचेत रहने के हेतु चेतावनी दे दी गई है।
४. सुनेल ,, ,, ,,
५. टोंक अध्यक्ष से जवाब मांगा गया है।
६. टोंक ,, ,, ,,
७. फतेहपुर—जांच रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी गई है ।
८. सरकार के विचाराधीन है । दांता जांच रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी गई है।

सरकार के विचाराधीन है ।

९. करौली ,, ,,
१०. हिन्डोन ,, ,,
११. सवाई माधोपुर ,, ,,
१२. गंगानगर ,, ,,
१३. सूरतगढ़ ,, ,,
१४. नोहर ,, ,, ,,
१५. भरतपुर जांच रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करदी गई है ।

सरकार के विचाराधीन है ।

१६. डीडवाना ,, ,,

१७. छापर ,, ,,

१८. लोसल अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा गया है

१९. रामगढ़ ,, ,,

२०. सीकर ,, ,,

२१. नागौर धारा २२ (१०) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व अध्यक्ष को नोटिस दिया गया था जो सरकार के विचारा है ।

२२. रतनगढ धारा २२ (१०) के अन्तर्गत मामला सरकार के विचाराधीन है ।

२३. राजगढ (बीकानेर) अध्यक्ष को आवश्यक आदेश दिये जा चुके हैं ।

२४. नरायना सहायक प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा जांच करवाली गई है जो शीघ्र ही सरकार को प्रेषित की जायगी ।

निम्न नगरपालिकाओं की जांच करवाली गई है जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

१. सांगरिया २. नोखा ३. हनुमानगढ ४. खेडली ५. डीग नगरपालिका शाहपुरा देवगढ, बगड, श्री माधोपुर व लाडनू की जांच हेतु प्रादेशिक एवं सहायक प्रादेशिक निरीक्षक को आवश्यक जांच हेतु लिख दिया है जांच की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

नगरपालिका, चूरू कुचामन व गंगापुर की जांच शीघ्र करवाई जा रही है ।